प्रकाशन का 41 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई–पेपर

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

www.facebook.com/shailshamachar

वर्ष 41 अंक–37 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पंजीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-17 सोमवार 12–19 सितम्बर 2016 मूल्य पांच रूपए

केन्द्र के 7 करोड़ का खुला दुरूपयोग और 49 लाख की उपयोगिता प्रमाण पत्र सवालों में

शिमला/शैल। प्रदेश के पर्यटन विभाग में सुनियोजित तरीके से बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है और इस पर प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसलों का कोई असर नही हो रहा है यह आरोप लगाया है पर्यटन विकास निगम के पूर्व कर्मचारी नेता ओम प्रकाश गोयल ने। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायधीश, राज्यपाल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधीश मुख्यमन्त्री केन्द्रिय वित्त मन्त्री, केन्द्र के केबिनेट सक्रेटरी सीएजी निदेशक सीबीआई और केन्द्रिय पर्यटन सचिव के नाम भेजी 56 पन्नों की शिकायत में गोयल ने आरोप लगाया है कि प्रदेश के पर्यटन विभाग में केन्द्र सरकार द्वारा भेजे इस करोड़ रूपये में घपला हुआ है। गोयल ने कहा कि जब उन्होने 2002 में इस आशय की एक याचिका उच्च न्यायालय में दायर की थी जिस पर 13.3.2003 को आये फैसले में सरकार को जो निर्देश दिये गये थे उनकी भी अनुपालना नही हुई है। इस संद्धर्भ में गोयल ने 2009 में उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका भी दायर की थी। जिसके जवाब में तत्कालीन प्रधान सचिव पर्यटन अशोक ठाकुर ने अपने शपथ पत्र में स्वीकारा है कि विभाग ने भारत सरकार से आये 6,93,9000 रूपये बिना पूर्व अनुमति के दूसरे कार्यो पर खर्च कर लिये हैं। लेकिन इसके लिये उन्होने किसी की जिम्मेदारी तय नही की। बल्कि उच्च न्यायालय के फैसले को लागू करने के लिये जो निर्देश जारी किये थे उन पर आज तक कोई अमल नही हो पाया है बल्कि इस संद्धर्भ में पर्यटन निगम के तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक ने भी 16. 09.2007 को अदालत में गल्त शपथ पत्र दायर किया है।

गोयल का आरोप है कि पर्यटन विकास के लिये विभिन्न योजनाओं के नाम पर केन्द्र सरकार से जो पैसा मिल रहा है उसमें बड़े स्तर पर घपला हो रहा है इन योजनाओं के लिये झूठे प्रमाणपत्र भारत सरकार को भेजे जा रहे हैं। केन्द्रिय पैसे का पूरी तरह से दुरूपयोग हो रहा है। अपने आरोप को प्रमाणित करने के लिये गोयल ने सुंरगी टूरिस्ट कम्पलैक्स से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज आर टी आई के तहत प्राप्त करके अपनी शिकायत के साथ भेजे हैं। इन दस्तावेजों के मुताबिक 1995 में खदराला के लिये केन्द्र ने एक टूरिस्ट कम्पलैक्स स्वीकृत किया था। जिसे बाद में सुंगरी के लिये शिफ्ट कर दिया गया। इस प्रौजैक्ट के लिये 26.3.1996 को भारत सरकार से 46,11,600 रूपये की स्वीकृति प्राप्त हुई। इस टूरिस्ट कम्पलैक्स के लिये प्रदेश सरकार ने तीन लाख का योगदान दिया है। इसमें 38 बिस्तरों के लिये 19 कमरे और 12 बिस्तरों के लिये एक डारमैट्री तथा इनसे संबद्ध अन्य निर्माण होना था। इसके लिये केन्द्र सरकार से 10.5.1996 को पहली, 7.8.1996 को दूसरी, 10.11.1998 को तीसरी और 24. 8.2005 को अन्तिम किश्त भी जारी हो गयी। अन्तिम किश्त से पहले यू सी कम्पलीशन और कमीशनींग आदि के सारे प्रमाणपत्र भी 31.12.2004 को भारत सरकार को भेज दिये गये। इसके बाद नियमों के अनुसार वांछित एग्रीमैन्ट भी भारत सरकार के साथ साईन हो गया और यह कम्पलैक्स एक रूपये प्रतिमाह की दर पर प्रदेश के पर्यटन विभाग को मिल गया। इस टूरिस्ट कम्पलैक्स से जुडी औपचारिकताएं पूरी हो गयी। इसके अनुसार प्रौजैक्ट पूरी तरह तैयार हो कर प्रदेश के टूरिज्म विभाग द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है।

पर्यटन विभाग का कारनामा

लेकिन जब जुलाई 2006 में मुख्यमन्त्री यहां पहुंचे तो इस निर्माण को अधूरा देखकर इसे पूरा करने के लिये लोक निर्माण विभाग को ट्रांसफर करने के निर्देश दे दिये। मुख्यमन्त्री के इन निर्देशों पर अमल करते हुए 21.8. 2006 एम टूरिज्म और लोकनिर्माण के अधिकारियों ने कम्पलैक्स स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण की रिपोर्ट के बाद 16.7.2007 को कम्पलैक्स लोक निर्माण विभाग को ट्रांसफर हो गया। 16. 7.207 को जो टूरिज्म और लोक निर्माण विभाग की संयुक्त रिपोर्ट के मुताबिक इसकी ग्राऊंड प्लोर पर पांच कमरे बने थे जो पूरी तरह से टूटे हुए थे और इस पर कोई छत नही थी पूरा निर्माण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त था।

2007 को लोक निर्माण विभाग को ट्रांसफर हो चुके इस कम्पलैक्स पर 2015 में जब अतिरिक्त मुख्य सचिव लोक निर्माण यहां पहुंचे तो उन्होने इसे पूरा करने के निर्देश विभाग को जारी किये। इन आदेशों पर अमल करते हुए विभाग ने फिर इस स्थल का निरीक्षण करके रिपोर्ट तैयार की। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस निर्माण को तोड़कर नये सिरे से निर्माण करना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक कम्पलैक्स की साईट भी उचित नही है। नये निर्माण पर 76 लाख खर्च होने का अनुमान है और विभाग ने इस खर्च की स्वीकृति भी 2016 में प्रदान कर दी है पर्यटन विभाग इस निर्माण पर 46 लाख केन्द्र सरकार के और तीन लाख प्रदेश सरकार के खर्च कर चुका है। पर्यटन विभाग के दस्तावेजों के मुताबिक 31.12.2004 को 49 लाख की लागत से यह कम्पलैक्स पूरी तरह तैयार था और इस्तेमाल में था। लेकिन जुलाई 2006 में मुख्यमन्त्री इसे अधूरा पाते हैं। 2007 में जब लोक निर्माण इसे अपने कब्जे में लेता है और टूरिज्म के साथ सयुंक्त निरीक्षण करता है तब यह कम्पलैक्स टूटा हुआ पाया जाता है यहां यह सवाल उठता है कि क्या 31. 12.2004 को पर्यटन विभाग द्वारा केन्द्र सरकार को निर्माण से जुड़े जो सर्टिफिकेट भेजे गये थे वह सब झूठ थे? या फिर उसके बाद एक वर्ष में ही यहां तोड़ फोड़ हो गयी? यदि ऐसा हुआ है तो पर्यटन विभाग क्या कर रहा था? जब 2007 में इस निर्माण के क्षतिग्रस्त होने की रिपोर्ट सरकार के पास आ गयी तो उस पर कोई कारवाई क्यों नहीं हुई? इस पर लगा 49 लाख रूपया पूरा बर्बाद हो गया है। दस्तावेजों के मुताबिक यह कम्पलैक्स कभी यूज में लाया ही नही गया है इसके निर्माण में पूरी तरह घपला हुआ है और इसी कारण इसे भारत सरकार की अनुमति के बिना ही लोक निर्माण विभाग को ट्रांसफर कर दिया गया जबकि नियमानुसार ऐसा नही किया जा सकता है। रिकार्ड के मुताबिक यह आज भी भारत सरकार की संपति है।

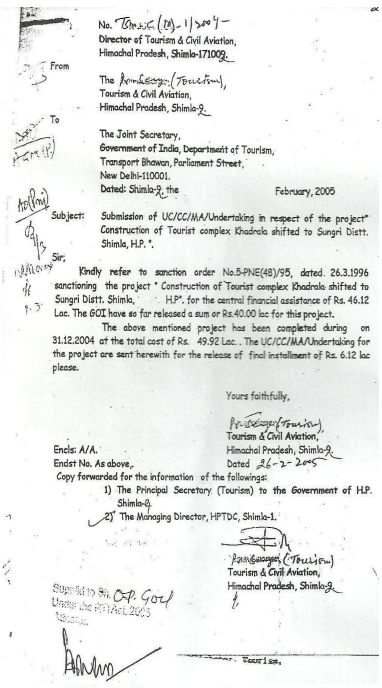

No. TSM-C(PD)-1/2004

Director of Tourism & Civil Aviation,
Himachal Pradesh, Shimla-171009.

From
The Director (Tourism),
Tourism & Civil Aviation,
Himachal Pradesh, Shimla-9.

To
The Joint Secretary,
Government of India, Department of Tourism,
Transport Bhawan, Parliament Street,
New Delhi-110001.

Dated: Shimla-9, the February, 2005

Subject: Submission of UC/CC/MA/Undertaking in respect of the project" Construction of Tourist complex Khadrala shifted to Sungri Distt. Shimla, H.P. ".

Sir,

Kindly refer to sanction order No.5-PNE(48)/95, dated 26.3.1996 sanctioning the project " Construction of Tourist complex Khadrala shifted to Sungri Distt. Shimla, H.P". for the central financial assistance of Rs. 46.12 Lac. The GOI have so far released a sum or Rs.40.00 lac for this project.

The above mentioned project has been completed during on 31.12.2004 at the total cost of Rs. 49.92 Lac. . The UC/CC/MA/Undertaking for the project are sent herewith for the release of final installment of Rs. 6.12 lac please.

Yours faithfully,

Director (Tourism)
Tourism & Civil Aviation,
Himachal Pradesh, Shimla-9.

Encls: A/A.
Endst No. As above, Dated 26-2-2005

Copy forwarded for the information of the followings:
1) The Principal Secretary (Tourism) to the Government of H.P. Shimla-9.
2) The Managing Director, HPTDC, Shimla-1.

Director (Tourism)
Tourism & Civil Aviation,
Himachal Pradesh, Shimla-9.

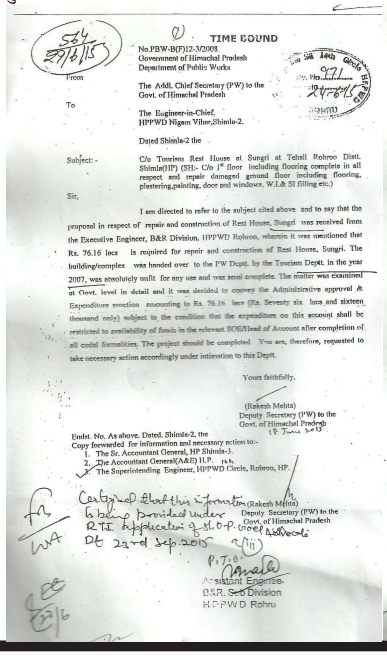

Supplied to Sh. O.P. Goel
Under the RTI Act, 2005

TIME BOUND

No.PBW-B(F)12-3/2008
Government of Himachal Pradesh
Department of Public Works

From
The Addl. Chief Secretary (PW) to the Govt. of Himachal Pradesh

To
The Engineer-in-Chief,
HPPWD Nigam Vihar,Shimla-2.

Dated Shimla-2 the

Subject: - C/o Tourism Rest House at Sungri at Tehsil Rohroo Distt. Shimla(HP) (SH:- C/o 1st floor including flooring complete in all respect and repair damaged ground floor including flooring, plastering,painting, door and windows. W.I.& SI filling etc.)

Sir,

I am directed to refer to the subject cited above and to say that the proposal in respect of repair and construction of Rest House, Sungri was received from the Executive Engineer, B&R Division, HPPWD Rohroo, wherein it was mentioned that Rs. 76.16 lacs is required for repair and construction of Rest House, Sungri. The building/complex was handed over to the PW Deptt. by the Tourism Deptt. in the year 2007, was absolutely unfit for any use and was semi complete. The matter was examined at Govt. level in detail and it was decided to convey the Administrative approval & Expenditure sanction amounting to Rs. 76.16 lacs (Rs. Seventy six lacs and sixteen thousand only) subject to the condition that the expenditure on this account shall be restricted to availability of funds in the relevant SOE/Head of Account after completion of all codal formalities. The project should be completed. You are, therefore, requested to take necessary action accordingly under intimation to this Deptt.

Yours faithfully,

(Rakesh Mehta)
Deputy Secretary (PW) to the
Govt. of Himachal Pradesh
18 June 2013

Endst. No. As above. Dated. Shimla-2, the
Copy forwarded for information and necessary action to:-
1. The Sr. Accountant General, HP Shimla-3.
2. The Accountant General(A&E) H.P.
3. The Superintending Engineer, HPPWD Circle, Rohroo, HP.

(Rakesh Mehta)
Deputy Secretary (PW) to the
Govt. of Himachal Pradesh

Assistant Engineer
B&R. Sub Division
H.P.P.W.D Rohru

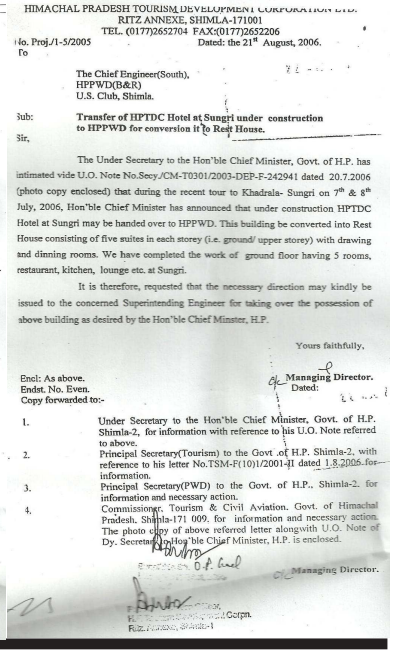

HIMACHAL PRADESH TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
RITZ ANNEXE, SHIMLA-171001
TEL. (0177)2652704 FAX:(0177)2652206

No. Proj./1-5/2005 Dated: the 21st August, 2006.

To
The Chief Engineer(South),
HPPWD(B&R)
U.S. Club, Shimla.

Sub: **Transfer of HPTDC Hotel at Sungri under construction to HPPWD for conversion it to Rest House.**

Sir,

The Under Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of H.P. has intimated vide U.O. Note No.Secy./CM-T0301/2003-DEP-F-242941 dated 20.7.2006 (photo copy enclosed) that during the recent tour to Khadrala- Sungri on 7th & 8th July, 2006, Hon'ble Chief Minister has announced that under construction HPTDC Hotel at Sungri may be handed over to HPPWD. This building be converted into Rest House consisting of five suites in each storey (i.e. ground/ upper storey) with drawing and dinning rooms. We have completed the work of ground floor having 5 rooms, restaurant, kitchen, lounge etc. at Sungri.

It is therefore, requested that the necessary direction may kindly be issued to the concerned Superintending Engineer for taking over the possession of above building as desired by the Hon'ble Chief Minster, H.P.

Yours faithfully,

Managing Director.
Dated:

Encl: As above.
Endst. No. Even.
Copy forwarded to:-

1. Under Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of H.P. Shimla-2, for information with reference to his U.O. Note referred to above.
2. Principal Secretary(Tourism) to the Govt .of H.P. Shimla-2, with reference to his letter No.TSM-F(10)1/2001-II dated 1.8.2006 for information.
3. Principal Secretary(PWD) to the Govt. of H.P., Shimla-2. for information and necessary action.
4. Commissioner, Tourism & Civil Aviation. Govt. of Himachal Pradesh. Shimla-171 009. for information and necessary action. The photo copy of above referred letter alongwith U.O. Note of Dy. Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P. is enclosed.

Managing Director.

Supplied to Sh. O.P. Goel

H.P. Tourism Development Corpn.
Ritz Annexe, Shimla-1

स्वामी दयानंद का चिंतन व आचरण आज अधिक प्रासंगिकः राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों के कार्यों को वैज्ञानिक तौर पर प्रस्तुत किया ताकि हमें यथार्थ की ओर ले जाया जा सके। उनकी शिक्षाएं, चिंतन व आचरण आज अधिक प्रासंगिक है। राज्यपाल आज मण्डी जिले के सुन्दरनगर में हिमाचल प्रदेश आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा आयोजित प्रान्तीय आर्य महासम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे।

राज्यपाल ने कहा कि आज विज्ञान का युग है, जहां पाखण्ड व अंधविश्वास के लिए कोई स्थान नहीं है। ऋषि-मुनियों के इस देश में वैदिक परम्परा रही है, जिसके पुर्नस्थापना की जिम्मेदारी आज आर्य समाज पर है। उन्होंने कहा कि आर्य समाज कोई धर्म नहीं बल्कि आंदोलन है। यह आंदोलन समाज में फैली बुराइयों के खिलाफ है। किसी भी कुरीति को समाज से मिटाने, राष्टीयता की भावना को जागृत करने और वैदिक विचारों के माध्यम से समाज में वैज्ञानिक सोच को विकसित करने में आर्य समाज महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है जिससे मानव मात्र का कल्याण हो सके।

आचार्य देवव्रत ने कहा कि समाज में तेजी से परिवर्तन आया है, जो सभ्यता व संस्कृति के अनुरूप नहीं है। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आज बच्चों को अपने महापुरूषों का ज्ञान नहीं, देश की आंजादी के वीरों की कुर्बानियों का संस्मरण नहीं, जिसके लिए शायद हम ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने आग्रह किया कि बच्चों को संस्कार दें और महान व्यक्तियों की जीवनी पढ़ाएं ताकि समाज में परिवर्तन आ सके।

उन्होंने कहा कि आज हम हर क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं लेकिन, यदि मानवता को समर्पित इन्सान और भावी पीढ़ी को संस्कारवान बना सकें तो यह सही मायनों में उन्नति होगी और यह कार्य आर्य समाज के हर सीपाही को करना होगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रदेश को नशामुक्त करने, जैविक राज्य घोषित करने, पर्यावरण संरक्षण व स्वच्छता, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ और समरसता जैसे महत्वपूर्ण विषयों को लेकर संकल्प लिए हैं, जिसके लिए उन्होंने प्रदेश की सभी आर्य प्रतिनिधि सभाओं से सहयोग का आग्रह किया।

आयोजकों को सम्मेलन के सफल आयोजन की बधाई देते हुए उन्होंने महासम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित करने और प्रतिनिधि सभाओं की संख्या को बढ़ाने का आहवान किया।

इससे पूर्व, राज्यपाल ने आर्य वीरदल प्रशिक्षण शिविर में हरड़ का पौधा रोपा और वीरदल के बच्चों ने उन्हें सलामी दी। राज्यपाल ने वेद प्रचार वाहन की चाबी आर्य प्रतिनिधि सभा को भेंट की।

इस मौके पर राज्यपाल को आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा सम्मानित किया गया। राज्यपाल ने विभिन्न सभाओं के प्रतिनिधियों को सम्मानित भी किया।

राज्यपाल के विशेष कार्य अधिकारी डा. राजेन्द्र अलंकार ने इस अवसर पर कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने मानवमात्र को जो चिंतन, आकलन, उपचार व आचरण सुझाया, वह दुरगामी व बहुमूल्य है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश व समाज में विचार राज करते हैं और आज यह चिंता करने की आवश्यकता है कि क्या कारण रहे कि हम विश्व गुरु के पद से हट गए और सोने की चिड़िया नहीं रहे। शायद हम दर्शन में हारे। इसलिए, स्वामी दयानंद के विचारों को जगाए रखें व उनका प्रचार करें।

आर्य प्रतिनिधि सभा, हिमाचल प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष प्रबोध चन्द्र सूद ने राज्यपाल का स्वागत किया।

राज्य में आवश्यक वस्तुओं की गुणवत्ता को सुनिश्चित बनाया जा रहा है

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्य के उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्तायुक्त दालें प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है और उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हर महीने सुनिश्चित की जा रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार राज्य अनुदान योजना के अन्तर्गत प्रदान की गई दालों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये क्षेत्र के सभी गोदामों से प्रत्येक दाल के नमूने प्राप्त कर हर सप्ताह 21 नमूने चिन्हित प्रयोगशालाओं में विश्लेषण के लिए भेजे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक विश्लेषण के लिए प्रत्येक दाल के 100 नमूने भेजे जा चुके हैं। निगम के अलावा, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें विभाग भी नमूने एकत्र कर रहा है तथा इनका विश्लेषण विभागीय प्रयोगशालाओं में किया जा रहा है।

हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी श्री गुरू गोबिन्द सिंह जी की 350वीं जयन्ती

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने श्री गुरू गोविन्द सिंह जी की 350वीं जयंती समारोह आयोजित करने के लिए बुलाई गई उच्च स्तरीय समिति बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि सरकार समारोह को सफल बनाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के अलावा सरकार सिखों के दसवें गुरू श्री गुरू गोविन्द सिंह जी की पालकी के स्वागत के लिए टेलिग्राफ कार्यालय के समीप, लेडीज पार्क के नीचे, शेर-ए-पंजाब के समीप तथा रिज पंडाल पर गेट लगाने के अलावा लंगर की अनुमति प्रदान करने सम्बन्धी व्यापक प्रबन्ध करेगी।

उन्होंने कहा कि हमें 'सिखों के इतिहास' एवं 'श्री गुरू ग्रंथ साहिब' के इतिहास से अपने महान गुरूओं की शिक्षाओं को सीखना एवं उनका सम्मान व अनुसरण करना चाहिए।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम समारोह को चिरस्मणीय बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि गुरू गोविन्द सिंह जी ने अपने अधिकांश रचनात्मक एवं साहित्यिक कार्यों को हिमाचल प्रदेश के पावंटा साहिब में यमुना नदी के तट पर पूर्ण किया। उन्होंने आशा जताई कि इस पावन उत्सव में सिख समुदाय के साथ सभी वर्गों के लोग सम्मिलित होंगे। उन्होंने कहा कि हमें इस उत्सव को बड़े उत्साह एवं हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने इस दो दिवसीय आयोजन के दौरान रिज मैदान पर स्वच्छता बनाए रखने की भी अपील की।

श्री गुरू सिंघ सभा के अध्यक्ष जसविन्द्र सिंह ने सहयोग के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया और उन्हें उत्सव में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया।

दो दिवसीय उत्सव 24 सितम्बर को श्री गुरू गोविन्द सिंह जी की पालकी को ले जाते हुए जुलूस के साथ आरम्भ होगा। जुलूस दोपहर बाद एक बजे उपायुक्त कार्यालय से आरम्भ होगा और सायं करीब पांच बजे रिज पर सम्पन्न होगा। श्री गुरू गोविन्द सिंह सभा द्वारा रिज स्थित पदमदेव परिसर में भी लंगर का आयोजन किया जाएगा।

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT TENDER
"NOTICE INVITING TENDER"

Sealed item rate tender are hereby invited by the Executive Engineer, Bilaspur Division No. II HP-PWD Bilaspur for the following works from the registered contractors of appropriate class enlisted in HP- PWD , whose registrations stood renewed as per revised instructions date of tender are as under:-

1. Date of application . 07.10.2016 upto 2:00 PM
2. Date of sale of tender form . 07.10.2016 at 5:00 PM
3. Date of receipt of financial bid. 10.10.2016 at 10:30 AM.
4. Date of opening financial bid 10.10.2016 at 11:00 AM.

The tender shall be received up to 10:30 AM on 10.10.2016 and will representative who may like to be present. The tender form can be had from this office against cash payment as shown below (Non - Refundable) during the working hours on 10.10.2016.

The Earnest Money in the Shape of National Saving Certificate/Deposit at call /Time Deposit /Account/ in any of the Post - Office / Nationalized Bank in H.P duly pledged in favour of Executive Engineer, Bilaspur Division No. II, HP-PWD Bilaspur must accompany with each application.Conditional tenders and the tenders received without earnest money will simultaneously be rejected. The offer of the tender shall be kept open for 90 days.The XEN reserve the right to accept or reject the tenders without assigning any reason.

Sr. No. Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Cost of form	Time Limit
1. Providing protection to Govt. High School Building at Luharda in Distt.Bilaspur (HP) (SH:- C/O Retaining wall in P.C.C) Deposit.	720216/-	14500/-	350/-	Three Months

TERMS & CONDITIONS:-

1. The tender forms will not be issued to those contractors whose performance is found satisfactory.
2. Earnest Money should be accompanied with application. Application without earnest money will not be entertained.
3. The photo copy of Pan Number should be attached with the application otherwise tender form will not be issued.
4. The photo copy of TIN Number should be attached with the application otherwise tender form will not be issued

Adv. No.- 2275/15-16 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक-जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार-ऋचा
अन्य सहयोगी
सुशील
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT TENDER
NOTICE INVITING TENDER

Sealed item rate tenders are herby invited /re-invited on form No. 6&8 by the Executive Engineer, HPPWD Division Barsar on behalf of Governor of H.P. for the following works from the approved and eligible contractors/ firms enlisted in H.P. P.W.D.in the appropriate class so as to reach in this office on or before 18.10.2016 to 10:30A.M. and will be opened on the same day at 11:00 A.M. in The presence of intending contractors or their authorized representative. the tender form can be had from this office against cash payment (Non-Refundable) on 17.10.2016 upto 4:00 PM. The offer of the tender shall be kept open for 120 days.

Name of work No. 1. C/O Line road to village Dhuma km 0/0 to 0/800 (SH: C/O 2:00 mtrs span RCC slab Culvert at Rd 0/405) Deposit Work Estimated Cost: 6,07,000/- Earnest Money: 12,200/- Time: Two Month Cost of form: 350/-

Name of Work 2: Repair of link road to village Kodri Khad (Sh: P/L cement concrete pavement from rd 0/150 to 0/290) Deposit Work Estimated cost 3,67,254/- Earnest Money 7350/- Time Two Month Cost of form: 350/-

TERMS AND CONDITIONS:-

No. 1. The Earnest Money in the shape of National saving certificate /Time deposit Accounts/ Saving Account /FDR in any of the post office National Bank in duly pledged in favour of the Executive Engineer Barsar must b accompanied with the application.

No. 2. Conditional tenders received without earnest money will out rightly be rejected.

No. 3. The contractor shall accompany has enlistment/ renewal order with his application for obtaining the tender documents.

No. 4. Executive Engineer Reserves the right to reject the tender without assigning any reason.

No. 5. The work will be completed by the contractor without the stipulated period.

No. 6. Tender forms will not be issued to those contractors who are registered under HPGST Act, 1988 & photo copy of individual PAN No. allotted to them attached with their application at the time of applying for tender documents. Application will not be entertained without aforesaid documents.

No.7. The contractor /firms are required to insert the rate of each item in words as well as in figures failing which Executive Engineer reserves the right to accept/ rejects any overall tender.

No.8. The Tender shall be issued to only those contractors /firm ho are found eligible suitable and competent.

No.9. The tender shall be issued to eligible contractor depending upon their past performance and work experience which shell be duly evaluated by the technical evaluation committee.

No.10. The Tender forms of soling , wearing and tarring shell be issued only to those contractors who will produce proper documents of ownership of required machinery and completion certificate of similar work issued by the concerned Executive Engineer also required.

No.11. Bituman for patch work /Pot holes repair shell be arranged by the contractor himself and contractor /firm having necessary documents past adequate experience shell be preferred.

No.12. Contractor who have failed to start /complete the work in hand with in reasonable time shell not be issued tender form.

No.13. Ones contractor should not have more works in hand at a time.

No.14. If **18.10.2016** happens to be holiday the tender shall be opened on next working day at 11:00A.M.

Adv. No.- 2316/15-16 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

मुख्यमंत्री का संस्कृति और परम्पराओं के संरक्षण का आवाह्न

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सिरमौर जिले के पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के सराहां में बावन द्वादसी मेले के समापन समारोह पर बोलते हुए निर्देश दिए कि माह में 10 दिन तक एसडीएम सराहां में बैठेंगें और आश्वासन दिया कि बाद में, स्थायी एसडीएम कार्यालय खोलने की मांग पर वह निश्चित रूप से विचार करेंगे। उन्होंने द्वादसी मेले को राज्य स्तरीय मेला घोषित किया। उन्होंने कहा कि क्वागधार में हवाई पट्टी के विस्तार के लिए पर्याप्त धन राशि प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने लोगों से प्राचीन काल से आयोजित किए जा रहे मेलों, संस्कृति एवं परम्पराओं, जो हमारे सदियों पुराने रीति-रिवाजों की पहचान है, के संरक्षण का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमारी परम्पराओं एवं रीति-रिवाजों से हमारी पहचान है, और इनके बिना हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सिरमौर जिले में सभी महाविद्यालय कांग्रेस की सरकारों ने खोले हैं। उन्होंने कहा कि नाहन में डा. वाई.एस. परमार मेडिकल कॉलेज ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है, और पहला बैच शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने पर्याप्त धन राशि का प्रावधान सुनिश्चित करने के उपरान्त ही घोषणाएं की हैं, और कभी भी कोरी घोषणाओं पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि वह घोषणा करने से पूर्व उसकी चर्चा करते हैं तथा यह सुनिश्चित करते हैं कि इसकी क्रियाशीलता के लिए पर्याप्त धन राशि उपलब्ध है।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि लड़कियां उनके घरद्वार के समीप उच्च शिक्षा हासिल करें, इसे सुनिश्चित करने के लिए सिरमौर में अधिकांश महाविद्यालय दूर-दराज के क्षेत्रों में खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि सराहां में कॉलेज खोलने के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा जब भी प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में सत्ता में आई है, उनके विरूद्ध दो बार झूठे मुकद्दमें बनाए गए हैं और उन्होंने दोनों बार सैशन ट्रायल का सामना किया है, और दोनों ही बार बरी हुए हैं। उन्होंने कहा कि वह राज्य के भाजपा नेताओं तथा उनके एक केन्द्रीय मंत्री, जो षड़यंत्रों में संलिप्त थे, को धूल चटाने के लिए अन्त तक लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि वह इनसे नहीं डरते हैं। वीरभद्र सिंह ने बिना नाम लिए एक भाजपा नेता की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह नेता सोलन जिले में अपने राजनैतिक उद्देश्यों में सफल नहीं हो सके तथा लोगों को बरगलाने व गुमराह करने के लिए नाहन चले गए। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि आम जनता को पैसे की ताकत से लुभाने की कोशिश करने वाले ऐसे लोगों की चालों को क्षेत्र की जनता भलीभांति समझती है। उन्होंने कहा कि यह नेता पैसे की ताकत के कारण विजयी हुए हैं, न कि अपनी छवि के कारण।

वीरभद्र सिंह ने पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के सराहां में 1.54 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित तहसील कार्यालय परिसर, सराहां में 80 लाख रुपये की लागत से निर्मित पर्यटन स्वागत केन्द्र व अन्य सुविधाओं से युक्त परिसर का लोकार्पण किया। उन्होंने पारम्परिक 'छिंज' में कुश्तियों का आनन्द लिया, जो द्वादसी मेले का मुख्य आकर्षण था।

राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष गंगू राम मुसाफिर ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया तथा उन्हें सम्मानित किया और तहसील कार्यालय परिसर एवं पर्यटन स्वागत केन्द्र के लोकार्पण के लिए उनका आभार प्रकट किया। इस अवसर पर अपने सम्बोधन में उन्होंने कहा कि कांग्रेस वीरभद्र सिंह के कुशल नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनावों में पुनः जीत हासिल करेगी। उन्होंने क्षेत्र में हुए विकास कार्यों का विवरण भी दिया तथा इसका श्रेय वर्तमान एवं पूर्व में सत्तासीन रही कांग्रेस की सरकारों को दिया।

मुख्यमंत्री का संस्कृत के विकास के लिए संस्कृत विद्वानों से आग्रह

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि सभी भाषाओं की उत्पति संस्कृत से हुई है और सभी ग्रंथ, वेद, पुराण तथा महाकाव्य संस्कृत में लिखे गए हैं, और भारतीय होने के नाते हमें इस पर गर्व होना चाहिए। मुख्यमंत्री राजकीय संस्कृत महाविद्यालय सोलन में 'संस्कृत का राष्ट्र व समाज के विकास में योगदान' विषय पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय संस्कृत कार्यशाला के अवसर पर बोल रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देववाणी अथवा देवताओं की भाषा मानी जाने वाली संस्कृत हमें प्राचीन भारतीय सभ्यताओं के उद्भव एवं विकास को समझने में मदद करती है, जिसकी भारत को 'विश्व गुरू' बनाने में अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि संस्कृति एवं संस्कृत भाषा एक दूसरे के पर्याय हैं तथा इनका संरक्षण एवं प्रोत्साहन करना अत्यावश्यक है। उन्होंने कहा कि संस्कृत हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा है। देश की सभी भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। उन्होंने कहा कि संस्कृत साहित्य विविधताओं का द्योतक हैं और हमारी प्राचीन परम्पराओं व संस्कृति के साथ-साथ इसका संरक्षण भी समय की आवश्यकता है।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि यहां तक कि विदेशी भी संस्कृत भाषा व इसके इतिहास को अच्छी तरह समझने के लिए भाषा में गहरी रूचि दर्शाते हैं तथा मूल संस्कृत ग्रंथों का अनुसंधान करते हैं, क्योंकि इनमें प्राचीन समय के विचार एवं रहस्य छिपे हैं। उन्होंने कहा कि संस्कृत का अध्ययन आज पश्चिमी दुनिया में विदेशी भाषा के तौर पर किया जाता है। उन्होंने कहा कि भारत के महान ग्रंथों एवं महाकाव्यों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया गया है, लेकिन इसके मूल स्वरूप का अपना ही महत्व है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक भारतीय को संस्कृत भाषा के मूल तत्वों का अध्ययन करना चाहिए, बेशक वह इसमें विद्वता हासिल न कर सके, लेकिन उन्हें इस भाषा का अध्ययन बोलने तथा समझने के लिए अवश्य करना चाहिए।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि समकालीन समस्यों का समाधान खोजने में संस्कृत का ज्ञान सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि इस कार्य के निष्पादन में संस्कृत में अनुसंधान के क्षेत्र में नई दिशा एवं दूरदर्शिता की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री ने युवाओं की भाषा में घटती रूचि पर चिंता जाहिर की तथा पारम्परिक भारतीय भाषाओं में और अधिक अध्ययन एवं अनुसंधान के लिए उनका आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सभी संस्कृत ज्ञाताओं को इस पर चिंतन व विवेचन करना चाहिए कि भाषा के विकास के लिए क्या किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि संस्कृत का अध्यापन आकर्षक होना चाहिए, इसकी गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए तथा संस्कृत में अनुसंधान और अधिक व्यावहारिक व कियाशील होना चाहिए।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि राज्य सरकार संस्कृत भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है, और स्कूलों में संस्कृत को छठी से आठवीं कक्षा तक अनिवार्य बनाया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही में तुंगेश संस्कृत कॉलेज का अधिग्रहण किया है। उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा है कि राज्य के प्रत्येक जिले में संस्कृत महाविद्यालय अथवा संस्थान होने चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार संस्कृत में उच्च शिक्षा के इच्छुक किसी भी विद्यार्थी को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने राज्य में संस्कृत भाषा को प्रोत्साहित करने वाले विद्वानों के प्रयासों की सराहना की।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पदमश्री रमाकान्त शुक्ल, प्रो. प्रियव्रत शर्मा, प्रो. केशव शर्मा व प्रो. रिहास बिहारी द्विवेदी को सम्मानित किया तथा उनका राज्य में स्वागत किया।

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के बिक्री काऊंटरों के लिए आवेदन आमंत्रित

शिमला/शैल। भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ) का 36वां संस्करण प्रगति मैदान नई दिल्ली में 14 से 27 नवम्बर, 2016 तक आयोजित किया जाएगा और राज्य उद्योग विभाग ने आयोजन के दौरान दुकानों, बिक्री केन्द्रों एवं डिस्पले विन्डो के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

उद्योग विभाग के एक प्रवक्ता ने इस संबंध में जानकारी देते हुए आज यहां कहा कि इस वर्ष के वार्षिक मैगा इवेंट का थीम 'डिजिटल इण्डिया' है। उन्होंने कहा कि इच्छुक भागीदार हथकरघा एवं हस्तशिल्प, फूड प्रोसेसिंग, कृषि-बागवानी उत्पाद, बायो-टैक्नालॉजी, पशु पालन, मत्स्य एवं पर्यटन इत्यादि किसी भी आर्थिक क्षेत्र में भाग ले सकते हैं और हिमाचल प्रदेश में उनके अपने उद्यम क्रियाशील होने चाहिए।

हिमाचल पैवेलियन में मूल हिमाचली हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भौगोलिक मानदण्ड अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत उत्पादों अथवा 'हैंडलूम मार्क' या 'वूल मार्क' वाले उत्पाद ही जगह के आवंटन के लिए पात्र होंगे।

उन्होंने कहा कि आवेदन के लिए निर्धारित आवेदन प्रपत्र, जिसमें पात्रता, आवंटन के लिए शर्तें एवं नियम तथा अन्य विवरण शामिल है, विभागीय वैबसाईट www.nic.in/industry पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, विभाग के फील्ड कार्यालयों से भी प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन पत्र बयाना राशि सहित संबंधित जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक/उप-निदेशक, एसडब्ल्यूसीए बद्दी/एकल खिड़की स्वीकृति एजेंसी के सदस्य सचिव को 4 अक्तूबर, 2016 तक पहुंच जाने चाहिए।

प्रवक्ता ने कहा कि बिक्रय दुकानों के आवंटन के लिए खुला ड्रॉ 14 अक्तूबर, 2016 को बाद दोपहर 3 बजे उद्योग भवन शिमला के सम्मेलन कक्ष में निकाला जाएगा।

टीसीपी वैबसाईट को लोगों की सुविधा के लिए द्विभाषीय बनाया गया:सुधीर शर्मा

शिमला/शैल। राज्य शहरी एवं नगर नियोजन विभाग की वैबसाईट को आम जनमानस की सुविधा के लिए हिन्दी में भी उपलब्ध करवाया गया है। अब विभाग की प्रत्येक सूचना हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषाओं में प्रदान की जा रही है।

शहरी विकास, आवास एवं नगर नियोजन मंत्री सुधीर शर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश टीसीपी की सभी सेवाओं को ऑनलाईन उपलब्ध करवाने वाला देश का पहला राज्य है। कोई भी व्यक्ति निजी तौर पर अथवा वास्तुकार के माध्यम से ऑनलाईन पोर्टल से इन सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकता है।

उन्होंने कहा कि आवेदकों को प्रमाण पत्र, पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा भवनों के डिजीटल नक्शों को ई-मेल के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। ई-सेवाओं के आरम्भ होने से विभाग को भी बड़ा लाभ पहुंचा है, जिससे विभाग लगभग पेपर रहित होने के अतिरिक्त कार्य प्रणाली में पारदर्शिता भी सुनिश्चित हुई है। इस प्रगति से राज्य में नागरिक केन्द्रित सुविधाओं के सुधार में भी मदद मिली है।

मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने विभागीय वेबसाईट तथा ऑनलाईन सेवाओं को जनवरी, 2016 में राज्य के लोगों को समर्पित किया था।

सबसे बड़ा गुरु मन्त्र है – कभी भी अपने राज दूसरों को मत बताएं। ये आपको बर्वाद कर देगा ..... चाणक्य

सम्पादकीय

चुनाव आयोग से सवाल

वर्ष 2017 में कुछ राज्य विधान सभाओं के चुनाव होने जा रहे है। कुछ वर्ष के शुरू में ही हो जायेंगे और कुछ वर्ष के अन्त में। इन चुनावों को लेकर अभी से राजनीतिक दल और नेता तैयारीयों में लग गये हैं। संबधित राज्य सरकारों ने अभी से अपनी उपलब्धियों का वखान करने वाले विज्ञापन प्रिन्ट और इलैक्ट्रानिक मीडिया में जारी करने शुरू कर दिये है। इसी के साथ चुनाव प्रचार विशेषज्ञों और कंपनीयों की सेवाएं भी ली जानी शुरू कर दी गयी हैं। इस प्रचार तन्त्र पर जो खर्च हो शुरू हो गया है यदि अन्त तक पहुंचते-पहुंचते उसका सही और निपक्ष आकलन सामने आ पाया तो निश्चित रूप से यह आंकडा प्रति विधान सभा क्षेत्र में चुनाव आयोग द्वारा तय खर्च सीमा से कई गुणा अधिक होगा यह तय है। लेकिन फिर भी यह आचार संहिता के तय मानकों की उल्लघंना की सीमा में नही आयेगा क्योंकि राजनीतिक दलों के लिये खर्च की कोई सीमा ही तय नही है। न ही यह सब कुछ पेड न्यूज़ की श्रेणी में आ पायेगा। अभी पिछले दिनों सोशल मीडिया में एक समाचार आया था कि ए बी पी न्यूज को उत्तर प्रदेश के चुनाव को प्रभावित करने के लिये सौ करोड़ रूपया दिया जा रहा है 45 करोड़ के कैश के साथ इस चैनल के एक अधिकारी को पकड़ा गया है यह भी समाचार में था। लेकिन इस चैनल को इतनी बड़ी रकम किसने दी? 45 करोड़ कैश के साथ इसके अधिकारी के पकडे जाने पर उसके खिलाफ आगे क्या कारवाई की गयी इसका कहीं कोई जिक्र आगे नही चला। सारा मीडिया इस समाचार पर मौन रहा। यहां तक की जिस चैनल पर यह आरोप लगा उसकी ओर से भी कोई प्रतिक्रिया कोई खण्डन नहीं आया। किसी भी राजनीतिक दल की ओर से भी कोई प्रतिक्रिया नही आयी । यहां तक की स्वयं चुनाव आयोग तक ने इस पर कुछ नही कहा। इस घटना से यही प्रमाणित होता है कि हमारा चुनाव तन्त्र कितना संवेदन हीन हो चुका है। ऐसे परिदृश्य में होने वाले चुनाव कितने निष्पक्ष, कितने प्रमाणिक कहे जा सकते हैं।,

इसी के साथ जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है कि चुनाव प्रचार विशेषज्ञ और कंपनीयां अनुबंधित की जा रही है उनकी भूमिका क्या होने जा रही है। निश्चित रूप से इन विशेषज्ञों के माध्यम से राजनितिक दलों और उनके नेताओं की छवि को संवारने में जनता के सामने वह परोसा जायेगा जिसका व्यवहारिकता और सच्चाई के साथ दूर-दूर तक कोई वास्ता नही होगा। पिछले लोकसभा चुनावों में सारा चुनाव प्रचार ऐसे ही प्रचार विशेषज्ञों से संचलित था। इन्ही की प्रचार नीति के तहत जनता में इतने वायदे परोस दिये गये जिनसे परिणाम का प्रभावित होना स्वाभाविक था और परिणाम प्रभावित हुआ भी। यह वायदे अव्यवहारिक थे। सच्चाई से कोसों दूर थे। इसलिये पूरे नही हुए। अच्छे दिन नही आये। प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख काला धन नही आया। जिन वयादों को पूरा करने के लिये पांच वर्ष का समय मांगा गया था चुनाव जीतने के बाद उनके लिये दस वर्ष का समय मांग लिया गया। आज यदि ईमानदारी से आंकलन किया जाये तो कोई भी राजनीतिक दल कसौटी पर पूरा नही उतरता है। कोई भी अपने वायदे पूरा नही कर पाया है क्योंकि यह वायदे पूरे हो नही सकते थे। यह तो केवल जनता को भ्रमित करने के लिये थे और जनता भ्रमित हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस सब पर नियन्त्रण कैसे किया जाये। नियन्त्रण और नियोजन की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग को इसके लिये कुछ मानक नये सिरे से तय करने होंगे। इसमें राजनीतिक दलों के चुनाव खर्च की भी सीमा तय करनी होगी और इस में प्रत्यक्ष या अपरोक्ष रूप से किया जाने वाला हर खर्च शामिल रहना चाहिये। चुनाव में किये गये हर वायदे की पूर्ति के लिये संसाधन कहां से आयेंगे इसका खुलासा चुनाव घोषणा पत्र में रहना अनिवार्य होना चाहिये? किसी भी वायदे को पूरा करने के लिये सरकारी कोष पर कर्ज भार डालने की अनुमति नही होनी चाहिये? अव्यवहारिक वायदों को खुले प्रलोभन की संज्ञा देकर ऐसे वायदे करने वालो के खिलाफ अपराधिक कारवाई का प्रावधान होना चाहिये। क्योंकि जिस तरह से आने वाले चुनावों में राजनीतिक दलों की संभावित रणनीति के संकेत उभरते नजर आ रहे हैं वह देश के लिये घातक सिद्ध होगा। क्योंकि चुनाव प्रचार के नाम पर जो वायदों के प्रलोभन परोसे जायेंगे उससे चुनाव परिणामों का प्रभावित होना स्वाभाविक है और कायदे से यह आचार संहिता का खुला उल्लघंन है। इसे रोकना चुनाव आयोग का दायित्व है इसलिये यह सवाल आयोग से उठाये जा रहे हैं।

हिमाचल में प्राकृतिक संसाधनों का वैज्ञानिक खनन सुनिश्चित

खनिज उद्योग न केवल राज्य की आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिये महत्वपूर्ण हैं, बल्कि यह लोगों को लाभप्रद रोजगार भी प्रदान कर रहा है। विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों तथा अन्य घरेलू जरूरतों के लिये रेत, बजरी, पत्थरों इत्यादि की मांग लगातार बढ़ रही है। प्राकृतिक संसाधनों पर भारी दबाव के कारण यह आवश्यक हो जाता है कि इनका दोहन वैज्ञानिक एवं विवेकपूर्ण तरीके से किया जाए।

राज्य सरकार ने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशों के अनुरूप बिना पर्यावरण मंजूरी के खनन पर पूरी तरह से प्रतिबन्ध लगा रखा है। साथ ही सरकार यह भी सुनिश्चित बना रही है कि खनिजों के अभाव में राज्य में विकास की गति में किसी प्रकार की रूकावट न आए, इसलिये वैज्ञानिक खनन को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

राज्य में वैज्ञानिक खनन को सुनिश्चित बनाने के लिये हिमाचल प्रदेश खनन नीति, 2013 को 24 अगस्त, 2013 को अधिसूचित किया गया था। नीति को और यर्थाथवादी एवं व्यवहारिक बनाने के लिये इसमें हिमाचल प्रदेश नदी व नालों में खनन नीति-2004 के दिशानिर्देशों को भी समाविष्ट किया गया है। नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य की बहुमूल्य खनिज सम्पदा का संरक्षण करने के साथ-साथ अवैध खनन को पर अंकुश लगाना है। पर्यावरण से सम्बन्धित स्वीकृतियों की शीघ्र मंजूरी के लिये आशय पत्र जारी करने का प्रावधान किया गया है, ताकि खनन गतिविधियां सुचारू ढंग से जारी रखी जा सकें।

हिमाचल प्रदेश लघु खनिज (रियायत) एवं खनिज (अवैध खनन के परिवहन एवं भण्डारण पर प्रतिबंध), नियम, 2015 के अनुसार नगर निगम/नगर समिति के बाह्य सीमा के दो किलोमीटर के भीतर तथा नगर पंचायतों के दायरे से बाहर एक किलोमीटर तक भूमि को किसी प्रकार के पटे पर नहीं दिया जा सकता। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय उच्च मार्गो/एक्सप्रेस मार्गो से बाहर 100 मीटर तक, राज्य उच्च मार्गो से 25 मीटर तथा अन्य सड़कों से 10 मीटर की दूरी तक कोई भी भूमि खनन के लिये पटे पर नहीं दी जा सकती। इसी प्रकार, जलापूति एवं सिंचाई योजनाओं के 200 मीटर ऊपर एवं नीचे, पुलों से 200 मीटर ऊपर तथा 200 से 500 मीटर नीचे भी कोई खनन पटा नहीं स्वीत नहीं किया जा सकता।

खनन रियायत प्राप्त करने के लिये आवेदकों की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने आशय पत्र जारी करने का निर्णय लिया है, ताकि आवेदक पूर्व वांछित पर्यावरण स्वीकृतियां प्राप्त कर सकें। प्राय: यह देखा गया है कि अवैध खनन की आवाजाही एवं विपणन रात्रि के समय किया जाता है। इसलिये सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में इसके विपणन पर रात्रि 8 बजे से प्रात: 6 बजे तक प्रतिबंध लगाया है।

खनन स्थलों की नीलामी में पारदर्शिता सुनिश्चित बनाने के लिये राज्य सरकार खनिज खदानों की खुली नीलामी करवा रही है। हाल ही में हमीरपुर जिले में 14 लघु खनन इकाईयां 3.95 करोड़ रुपये में नीलाम हुई हैं। जबकि कांगड़ा जिले की 13 लघु खनिज खदानें 2.21 करोड़ रुपये में तथा सिरमौर जिले में 20 लघु खनिज खदानें 29 करोड़ रुपये में नीलामी की गई है।

पर्यावरण और खनिज संरक्षण के हित में प्रदेश सरकार ने सड़कों, सुरंगों एवं विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में स्टोन क्रशर इकाइयों से उत्पन्न होने

वाली कच्ची सामग्री एवं अवशेषों के उपयोग को अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया है। इससे न अवैध खनन रूकेगा, बल्कि बाजार में खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने में भी मदद मिलेगी।

राज्य सरकार ने उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में प्रथम राज्य खनिज सलाहकार समिति अधिसूचित की है। यह समिति प्रदेश में योजनाबद्ध एवं वैज्ञानिक खनन को सुनिश्चित करेगी तथा खनन क्षेत्रों के बेहतर प्रबन्धन के लिये राज्य सरकार को अपने सुझाव भी देगी। निजी भूमि पर ईंट-बजरी के लिये खनन पटा प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। सम्बन्धित उप मण्डलाधिकारियों (ना), खनन अधिकारियों और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधियों के संयुक्त निरीक्षण करवाए जा रहे हैं।

राज्य में अवैध खनन को रोकने के लिये सरकार ने 13 मार्च, 2015 को हिमाचल प्रदेश लघु खनिज (रियायत) एवं खनिज (अवैध खनन के परिवहन एवं भण्डारण पर प्रतिबंध), नियम, 2015 अधिसूचित किए हैं। अवैध खनन में संलिप्त लोगों को कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। खनिजों का अवैध खनन, इनका विपणन एवं भण्डारण करने वालों को दो वर्ष तक का कारावास अथवा 25000 रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान किया गया है।

अवैध खनन के अपराध को अवैध रूप से किए गए खनन की मात्रा के साथ जोड़ा गया है तथा दोषी से कम से कम 10000 रुपये के जुर्माने के अतिरिक्त, प्रति मीट्रिक टन 400 रुपये की दर से जुर्माना वसूला जा रहा है। इससे पूर्व, किसी भी मात्रा में किए गए खनन के लिये 10000 रुपये का ही जुर्माना निर्धारित था। नदियों एवं नालों के किनारों से मशीनों से किये गए खनन के लिये दोषियों से कम से कम 25000 रुपये की राशि वसूली जा रही है। इसी प्रकार, खनिजों का अवैध रूप से भण्डारण करने पर जुर्माना 25000 रुपये से कम नहीं होगा तथा स्थल पर कुल एकत्र की गई अवैध खनन सामग्री का बाजार भाव भी दोषी से वसूला जाएगा। ट्रैक्टरों के लिये अवैध परिवहन की कंपाउंडिंग फीस 4500 रुपये, मध्यम ट्रक/टिप्पर के लिये 7000 रुपये 10 मीट्रिक टन के ट्रक के लिये 10000 रुपये तथा 10 एमटी से अधिक क्षमता वाले ट्रक के लिये यह जुर्माना कम से कम 15000 रुपये निर्धारित किया गया है।

राज्य सरकार के इन प्रयासों के सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं। अवैध खनन में कमी आई है तथा वैज्ञानिक खनन को बढ़ावा मिला है। इससे विकास के कार्यों तथा आम आदमी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये निर्माण सामग्री की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित हुई है, तथा पर्यावरण संरक्षण को भी बल मिला है।

स्वच्छता ही नहीं, सामाजिक बदलाव लाने का भी बेमिसाल प्रयत्न

डा. बिंदेश्वर पाठक

करीब चार दशक पहले की बात है। बिहार गांधी शताब्दी समिति में एक कार्यकर्ता के नाते मैं भी जुड़ा था। उसी दौरान मैंने देखा कि सिर पर मैला ढोने वाले दलित समाज के लोगों के साथ संभ्रांत लोग कैसा व्यवहार करते हैं। तब सिर पर मैला ढोने वाले लोगों से उस दौर का संभ्रांत समाज इतना अत्याचार करता था कि मेरा मन भर गया। तभी मैंने सिर से मैला उठाने वाले लोगों की मुक्ति के लिए काम करने की ठान ली। चूंकि मैं ब्राह्मण परिवार से था, लिहाजा अपने समाज में मेरा विरोध भी हुआ। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। इसी दौरान मैं सिर से मैला ढोने वाले लोगों को इस अमानवीय कार्य से मुक्ति दिलाने के बारे में सोचने लगा। इसी सोच से विकसित हुआ दा गड्ढों वाला शौचालय। इसकी तकनीक चूंकि सस्ती है और आसान भी, इसलिए हमने नाम दिया सुलभ शौचालय। इस तकनीक के तहत जब एक गड्ढा भर जाता है तो दूसरा गड्ढे से शौचालय को जोड़ दिया जाता है। इस बीच पहले गड्ढे में जमा शौच खाद में बदल जाता है। हमने तो इस शौचालय के जरिए गैस बनाने और उसे बिजली तक बनाने के कामयाब प्रयोग किए हैं।

दुनिया की कोई भी संस्कृति बिना स्वच्छता और सफाई के आगे बढ़ ही नहीं सकती। भारत तो वैसे भी देवी – देवताओं में आस्था रखने वाला समाज और देश है। बिना साफ – सफाई के देवता भी नहीं आ सकते। इसलिए सफाई का यहां विशेष महत्व रहा है। हालांकि,दुर्भाग्यवश कालांतर में हमारे समाज में कुछ कुरीतियां घर कर गई और हम स्वच्छता – सफाई की दुनिया से दूर होते चले गए। लेकिन आधुनिक भारत को स्वच्छता और सफाई का पहला संदेश महात्मा गांधी ने दिया था। 1901 के कांग्रेस अधिवेशन में गांधीजी जब शामिल हुए तो उन्होंने देखा कि वहां शौचालयों को कांग्रेस कार्यकर्ता साफ नहीं करते हैं, बल्कि सिर पर मैला ढोने वाले लोग साफ करते हैं तो उन्होंने इसका विरोध किया। हालांकि, प्रतिनिधियों ने गांधी जी की इस विचारधारा का विरोध किया। लेकिन गांधीजी जब दक्षिण अफ्रीका लौटे तो उनके मन में यह बात घर कर गई थी। वहां स्थापित फिनिक्स आश्रम में गांधीजी ने शौचालय की साफ – सफाई खुद करने पर जोर दिया। गांधीजी का मानना था कि स्वतंत्रता से ज्यादा जरूरी सफाई है। गांधीजी का मानना था कि स्वच्छता और नागरिक मूल्य ही राष्ट्रवाद की नींव हैं, इसलिए उन्होंने ताजिंदगी साफ – सफाई और स्वच्छता पर ना सिर्फ जोर दिया, बल्कि कांग्रेस के कार्यक्रमों के साथ ही अपने आश्रमों में स्वच्छता और उसमें हर व्यक्ति की भागीदारी पर जोर दिया। यहां तक कि उन्होंने 1937 में बुनियादी शिक्षा के लिए वर्धा में जो सम्मेलन बुलाया, उसमें भी उन्होंने स्कूली पाठ्यक्रम में स्वच्छता पर जोर दिया। उनका मानना था कि बच्चे को शुरुआत से ही सफाई के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए।

गांधीजी के विचार से प्रभावित होकर ही बिहार के मंत्री शत्रुन शरण सिंह के सुझाव पर मैंने 1970 में सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना की। आज शौचालय निर्माण की सस्ती तकनीक के लिए इसकी दुनियाभर में पहचान है। हमने अब तक डेढ़ करोड़ घरों में दो गड्ढों वाले सस्ते शौचालयों का निर्माण किया है। इसके साथ ही हमारी संस्था ने देशभर में करीब 8500 सार्वजनिक शौचालयों का ना सिर्फ निर्माण किया है, बल्कि वह उन्हें संचालित भी कर रही है। 'सुलभ' के जरिए सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता का नया संदेश हमने देने का प्रयास किया है।

गांधीजी के बाद अगर इस देश में स्वच्छता के महत्व को किसी ने गहराई से समझा है तो वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उन्होंने लालकिले की प्राचीर से 2019 तक देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कितने दूरदर्शी हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनका ध्यान स्कूलों में शौचालय की कमी की वजह से पढ़ाई छोड़ने वाली लड़कियों की ओर गया। उन्होंने हर स्कूल में लड़कियों के लिए अलग शौचालय बनाने के अभियान को स्वीकृति दी है। इस दिशा में सुलभ भी काम कर रहा है। सुलभ इंटरनेशनल ने भारती फाउंडेशन के सहयोग से पंजाब के लुधियाना जिले के तकरीबन हर गांव में शौचालय बनाए हैं। इससे वहां स्कूल जाने वाली लड़कियों और महिलाओं के जीवन में ना सिर्फ सुरक्षा बोध बढ़ा है, बल्कि उनकी जिंदगी में गुणात्मक बदलाव भी आया है।

'सुलभ' ने ना सिर्फ शौचालय तकनीक के जरिए सिर पर मैला ढोने वाले लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश की है, बल्कि सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस आर्गेनाईजेशन की संस्था 'नईदिशा' के जरिए अब तक अछूत समझी जाती रही अनेकानेक महिलाओं की जिंदगी में नया सवेरा लाने की कोशिश भी की है। 2003 से 'नईदिशा' राजस्थान के टोंक जिला मुख्यालय के हुजूरी गेट इलाके में काम कर रही है। यहां की सैकड़ों महिलाओं को सिर पर ना सिर्फ मैला ढोने की कुप्रथा से मुक्त कराया जा चुका है, बल्कि उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए सिलाई – कढ़ाई से लेकर अचार – पापड़ बनाने आदि के कामों से भी जोड़ा गया है, जिसके जरिए उन्हें रोजगार भी हासिल है। अब टोंक के संभ्रांत परिवारों में उनके बनाए अचार और पापड़ बिकते हैं। उनके द्वारा सिलेग एक पड़े उच्चवर्गीय परिवारों के लोग भी पहनते हैं।

'सुलभ' ने इस कार्यक्रम की प्रेरक उषा चौमड़ को बनाया है। उषा चौमड़ अब सुलभ के स्क्वेंजर मुक्ति अभियान का प्रतीक बन चुकी हैं। वे संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषण दे चुकी हैं। हाल ही में उन्होंने लंदन में बुद्धिजीवियों के बीच भारतीय नारी और स्क्वेंजर मुक्ति पर भाषण दिया है। वह रैंप पर चल चुकी हैं। पूर्व राष्ट्रपति डा.प्रतिभा पाटिल ने उन्हें सम्मानित कर चुकी हैं।

'सुलभ' अपने सामाजिक दायित्व को निभाते हुए वर्ष 2012 से वृंदावन, काशी और उत्तराखंड की विधवाओं एवं उनपर आश्रित 2000 लोगों की देखभाल कर रहा है। उन्हें अब भोजन के लिए किसी आसरे का इंतजार नहीं रहता है।

आवश्यकता इस बात की है कि हम अपना सामाजिक और नैतिक दायित्व निभाएं और कम से कम किसी एक व्यक्ति को आत्मविश्वास दें ताकि वह अपने जीवन में आत्मनिर्भर हो सके। सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में हम सभी सक्षम हैं लेकिन आवश्यकता बस एक पहल की है।

पोषण और जीवन स्तर में वृद्धि करना सरकार का दायित्व

संतोष जैन पासी, अकांक्षा जैन

संविधान के अनुच्छेद 47 में कहा गया है ''पोषण और जीवन स्तर में वृद्धि करना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना सरकार का दायित्व है।'' राष्ट्रीय पोषण सप्ताह (1 – 7 सितम्बर), का प्रारंभ खाद्य एवं पोषण बोर्ड ने 1982 में किया था। यह अपार महत्व वाली एक महत्वपूर्ण घटना है। इसका लक्ष्य जनता के बीच पोषण/स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता बढ़ाना है, जिसका उत्पादकता, आर्थिक प्रगति और अंतत देश के विकास पर व्यापक असर पड़ सकता है। इस सप्ताह के दौरान, सरकार/गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित किए जाने पोषण संबंधी शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर प्रमुख रूप से बल दिया जाता है।

2016 का विषय है 'लाइफ साइकल एप्रोच फॉर बेटर न्यूट्रिशन'

पोषण प्रतिरक्षा प्रदान करने के माध्यम से मानव विकास का आधार तैयार करता है और इस प्रकार अस्वस्थता,मृत्यु और अक्षमता से संबंधित मामलों में कमी लाता है। इसके अलावा यह सीखने की आजीवन क्षमताओं को संवर्धित उत्पादकता को बढ़ावा देता है। दूसरी ओर, कुपोषण से बच्चोंके बौद्धिक स्तर और संज्ञात्मक योग्यता में कमी आती है, इसके परिणामस्वरूप स्कूल में उनके प्रदर्शन और बाद के जीवन की उत्पादकता पर असर पड़ता है। कम वजन वाले बच्चों न केवल प्रतिरोधन कार्य क्षीण होता है, बल्कि प्रौढ़ावस्था के दौरान उनमें गैर – संचारी रोगों का जोखिम बढ़ जाता है।

वैश्विक पोषण रिपोर्ट – 2016 में स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है कि किस प्रकार भारत कुपोषण से प्रभावी ढंग से निपटने में अभी तक पीछे है। कुपोषण वृद्धि रुकने, अपक्षय, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी और वजन बढ़ने/मोटापे के रूप में परिलक्षित होता है। वृद्धि रुकने के संबंद्ध में भारत 132 देशों में से 114 वें स्थान (मामले: 38. 7%) पर है, जबकि अपक्षय के संबंध में 130 देशों में से 120 वें स्थान (मामले:15. 1%) पर है । गर्भधारण करने की आयु वाली महिलाओं के बीच एनीमिया प्रसार के बारे में, भारत 185 देशों में से 170 वें स्थान (मामले: 48.1%) पर है – और यह गंभीर चिंता का विषय है।

बीते वर्षों में, सरकार ने अपनी जनता के बीच व्याप्त कुपोषण से निपटने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना 1975 में प्रारंभ की गयी थी। आईसीडीएस बच्चों की देखभाल और विकास के लिए दुनिया के विशालतम और सबसे अनोखे आउटरीच कार्यक्रमों में से एक है, जिसके अंतर्गत देश के सभी जिलों और प्रखंडों को शामिल किया गया है। इसी तरह, मध्यान्न भोजन योजना को 1995 में सर्वव्यापी बनाया गया था। हालांकि विभिन्न क्षेत्रों में तालमेल का अभाव है, जो कुपोषण की अंतर – पीढ़ीगत और बहुमुखी प्रकृति से निपटने के लिए बेहद आवश्यक है।

इसी तरह, हालांकि वैश्विक स्तर पर यह अच्छी तरह से स्वीकार किया है कि पहले 1000 दिनों (गर्भाधान से 2 वर्ष प्रसवोत्तर) ध्यान केंद्रित करने से बच्चे कुपोषण से निपटने का एक महत्वपूर्ण अवसर है, भारत में, पोषण कार्यक्रम मुख्यत: जन्म के बाद की अवस्था पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अनुसंधानों से संकेत मिलता है कि 2 साल की उम्र में विकास में होने वाली 50 प्रतिशत कमीमुख्य रूप से गर्भावस्था के दौरान और उससे पहले मां के खराब पोषण के कारण गर्भ में ही हो जाती है। इसलिए, पर्याप्त पोषण की स्थिति(गर्भाधान से पूर्व और पहले तीन महीनों के दौरान जब ज्यादातर महिलाओं को अपनी गर्भावस्था के बारे में पता नहीं होता) भ्रूण के उचित विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

अल्पपोषित लड़कियों के अल्पपोषित माता बनने की संभावना अधिक होती है। ऐसी माता के बच्चे का जन्म के समय वजन कम होता है और कुपोषण का यह अनुवाशिक चक्र चलता रहता है। किशोर माताओं में यह और अधिक हो जाता है। ऐसी माताएं दो शारीरिक अवस्थाओं (किशोर तथा गर्भधारण) से गुजरती हैं।

समावेशी विकास के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) का सार्वभौमिककरण और वंचित इलाकों में लघु आंगनवाड़ी केन्द्र स्थापित किए गए। फिर भी सफल म डलों को अपनाते हुए अपेक्षा से कम प्रदर्शन करने वाले राज्यों में आईसीडीएस को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा (मई, 2016) आईसीडीएस को नया रूप दिए जाने से देश की पौष्टिकता की स्थिति में सुधार होने की आशा है।

सरकार अब आंगनवाड़ियों के डिजिटीकरण से पौष्टिकता कार्यक्रमों पर निगरानी रख रही है। इससे पूरी प्रणाली में बदलाव आने की संभावना है क्योंकि डिजिटीकरण से प्रत्येक बच्चे की पौष्टिकता स्थिति पर रियल टाईम में नजर रखी जा सकेगी और आवश्यकता पड़ने पर तात्कालिक रूप से हस्तक्षेप किया जा सकेगा। इसी तरह डायरिया का बच्चें की पौष्टिकता स्थिति पर सीधा प्रभाव पड़ता है। सरकार द्वारा युद्ध स्तर पर शौचालय बनाने और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे है। इससे रहन – सहन की स्थिति स्वच्छ होगी और सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

2013 में सरकार ने खाद्य सुरक्षा विधेयक पारित किया। इसके तहत प्रतिमाह व्यक्ति को पांच किलोग्राम खाद्यन सब्सिडी दर पर देने की व्यवस्था की गई। यह सराहनीय बात है कि टीपीडीएस, एमजीएमआरईजीए, आईसीडीएस तथा एमडीएमएस जैसे अनेक राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के स्तर से खाद्य और पौष्टिकता सुरक्षा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ – बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रम पौष्टकिता संवेदी विषयों के समाधान के लिए हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माधयम से दी जाने वाली खाद्य सामग्रियों पर भी ध्यान दिया जा रहा है ताकि देश में कुपोषण की समस्या से निपटा जा सके।

सूखा, बाढ़ तथा महामारी जैसी आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय त्वरित व्यवस्था आवश्यक है इसलिए तेजी के साथ पौष्टिकता संबंधी डाटा को एकत्रित करने की आवश्यकता है (अभी 5 – 7 वर्षों में डाटा एकत्रित किए जाते है) अधिक तेजी से डाटा एकत्रित करने से पौष्टिकता संबंधी बदली आवश्यकताओं की जानकारी मिलेगी और पौष्टिकता संबंधी उपायों का प्रभाव भी दिखेगा। राष्ट्रीय पौष्टिकता रणनीति इस तरह बनाई गई है ताकि अल्पपोषित को सर्वोच्च प्राथमिकता मिले। भारत की पौष्टिकता संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक कार्यवाई की जरूरत है ताकि तेजी से लिंग संवेदी समावेशी और सतत विकास सुनिश्चित हो सके।

पौष्टिकता दोधारी तलवार है – अल्प और अधिक पौष्टिकता हानिकर है.....

.....अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी नियमित शारीरिक सक्रियता के साथ अधिकतम पौष्टिकता है।

पर्वतीय राज्यों के लिये हवाई एम्बुलेन्स की मांग:जी.एस.बाली

शिमला/शैल। परिवहन मंत्री जी. एस. बाली ने पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को निकालने के लिए हवाई एम्बुलैंस सुविधा प्रदान करने के लिए

भारत सरकार से आग्रह किया है, ताकि इस प्रकार की दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को कम करने के लिए समय पर चिकित्सा उपचार सुविधा प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों के संदर्भ में सड़क इंजीनियरिंग तकनीक तथा विशेष रूप से तैयार किए जाने वाले पैरामीटरों के स्तरोन्नयन की आवश्यकता है।

बाली नई दिल्ली में पहाड़ी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के मुद्दों का समाधान करने के उद्देश्य से 'मंत्रियों के समूह' की एक बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। इस समूह का गठन सड़क परिवहन, उच्च मार्ग एवं जहाजरानी मंत्रालय द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के मुद्दों का समाधान करने के लिए किया गया है।

पर्वतीय क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली तथा चुनौतियों से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए बाली ने कहा कि देश में सड़क सुरक्षा उपायों के बारे में आम जनमानस में जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस जागरूकता अभियान में स्कूली बच्चों को शिक्षित करने पर बल दिया जाना चाहिए तथा स्वयंसेवी संस्थाएं एवं सिविल सोसायटी समूह भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने इस अभियान को और कारगर बनाने के लिए केन्द्र सरकार से पर्याप्त धनराशि प्रदान करने का आग्रह किया।

बाली ने बल देते हुए कहा कि पहाड़ी राज्यों में सड़क परिवहन उपक्रमों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है तथा मंत्रालय को प्राथमिकता के आधार पर धनराशि उपलब्ध करवानी चाहिए, ताकि पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को आरामदायी व सुविधाजनक परिवहन सुविधा प्रदान की जा सके और वाहनों की खराब हालत के कारण संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोटरों एवं पर्यटकों की सुविधा के लिए परमिट जारी करने के लिए विशेषकर असम, त्रिपुरा, मणिपुर व मेघालय के लिए एक साझा मंच प्रदान करने की भी आवश्यकता है।

मंत्रियों के समूह ने परिवहन के अतिरिक्त साधन जिनसे सड़क सुरक्षा बढ़ेगी, प्रदान करने के लिए रज्जू मार्गों, गंडोला तथा हैलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करने की मांग उठाई।

राष्ट्रीय उच्च मार्ग के सचिव संजय मित्रा ने देश में सड़क सुरक्षा उपायों को अपनाने के लिए जारी किए गए मंत्रालय के दिशा-निर्देशों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण के लिए आबंटित धन राशि का 10 प्रतिशत सड़क सुरक्षा उपायों को अपनाने पर खर्च करना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने विभिन्न पर्वतीय राज्यों के प्रतिभागियों को अपने संबंधित राज्यों में नोडल एजेंसी बनाने के लिए आगे आने का आग्रह किया ताकि सड़क दुर्घटनाओं से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सकें। बैठक में पर्वतीय राज्यों में यातायात की सुगम आवाजाही के लिए क्षेत्रीय परमिट प्रणाली के सृजन का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया।

प्रधान सचिव परिवहन संजय गुप्ता तथा परिवहन आयुक्त डा.सुनील चौधरी, परिवहन विभाग व परिवहन निगम के अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

गैरकानून खनन के लिए बनाए मार्गों को चिन्हित करेंगे खनन अधिकारी

शिमला/शैल। प्रदेश के खनन अधिकारियों को नदियों की तलहटी में अवैध खनन गतिविधियों के लिए बनाए गए अवैध मार्गों को चिन्हित करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। यह निर्णय उद्योग विभाग के निदेशक अमित कश्यप की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के दौरान लिया गया। बैठक में माननीय उच्च न्यायालय तथा और प्रदेश सरकार द्वारा गैर कानूनी खनन गतिविधियों की प्रभावी रोक के लिए पूर्व दिए गए दिशा-निर्देशों के तहत कार्य योजना के कार्यान्वयन पर चर्चा की गई।

अमित कश्यप ने निर्देश दिए कि खनन अधिकारी इन मार्गों को चिन्हित करने के उपरांत सम्बन्धित उपायुक्तों को इस बारे सूचना दे ताकि इन अवैध मार्गों को तुरंत बंद किया जा सके। उन्होंने सभी खनन अधिकारियों को उनके सम्बन्धित जिलों में अवैध खनिज खनन क्षमता को चिन्हित करने के भी निर्देश दिए, ताकि इन क्षेत्रों की सार्वजनिक नीलामी की जा सके। उन्होंने कहा कि इससे न केवल अवैध खनन पर नजर रहेगी बल्कि कानूनी रूप से बाजार में खनन सामग्री उपलब्ध होगी और प्रदेश की खजाने में भी वृद्धि होगी। उन्होंने खनन अधिकारियों को निर्धारित समय के भीतर नीलामी के प्रस्ताव प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए।

निदेशक उद्योग ने खनन अधिकारियों को नियमित रूप से औचक निरीक्षण सुनिश्चित बनाने तथा दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए।

बैठक में बताया गया कि आम लोगों की सुविधा के लिए सभी खनन अधिकारियों के दूरभाष नम्बर उपलब्ध होंगे ताकि वे किसी भी प्रकार की अवैध खनन गतिविधियों बारे उन्हें तत्काल सूचित कर सकें। बिलासपुर के खनन अधिकारी परमजीत सिंह का दूरभाष नम्बर 9418491133, खनन अधिकारी चम्बा सुरेश कुमार 9418439966, खनन अधिकारी हमीरपुर राजीव कालिया 9418656450, खनन अधिकारी कांगड़ा ज्योति कुमार पुरी 9418017154, खनन अधिकारी कुल्लू बिन्दिया रानी 9459637600, खनन अधिकारी किन्नौर हरविन्दर सिंह 8988023986, खनन अधिकारी लाहौल स्पीति भूषण 9418088642, खनन अधिकारी मण्डी कुलभूषण शर्मा 9459072819, खनन अधिकारी सिरमौर सुरेश भारद्वाज 9418625341, खनन अधिकारी शिमला शैलजा चौधरी 9418517395, खनन अधिकारी सोलन सूरित चन्द्र 9418571409 तथा खनन अधिकारी ऊना नीरज कांत का दूरभाष नम्बर 9816519502 है, जिस पर कोई भी व्यक्ति अपने सम्बन्धित जिले के खनन अधिकारी को अवैध खनन गतिविधियों बारे सूचित कर सकते हैं।

नेपाल के प्रधानमंत्री ने किया 1500 मेगावाट की नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना का दौरा

शिमला/शैल। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' ने शिमला जिले की सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल) की 1500 मेगावाट की नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ भारतीय व नेपाल का प्रतिनिधिमण्डल भी शामिल था।

प्रचंड ने परियोजना के अंडरग्राउंड पावरहाउस व हार्ड कोलटग प्लांट का निरीक्षण किया, जो देश का सबसे बड़ी अंडरग्राउंड परियोजना है। एसजेवीएनएल के अधिकारियों ने नेपाल के प्रधानमंत्री को परियोजना की तकनीकी विशेषताओं व कार्यों के बारे में अवगत करवाया। यह परियोजना भारत सरकार व हिमाचल प्रदेश सरकार के संयुक्त तत्वावधान में तैयार की गई है।

प्रचंड ने परियोजना में गहरी रूचि दिखाई तथा कहा कि एसजेवीएनएल नेपाल में भी कुछ जल विद्युत परियोजना का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि 900 मेगावाट के अरूण-3 जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए मई 2014 में पहले ही समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उन्होंने नाथपा झाकड़ी परियोजना पर संतोष व्यक्त किया तथा कहा कि एसजेवीएनएल की जल विद्युत परियोजनाओं में अनुभव व विशेषज्ञता की सहायता से नेपाल में और अधिक परियोजनाओं का कार्यान्वयन सफलतापूर्वक होगा।

केन्द्रीय विद्युत राज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अरूण-3 जल विद्युत परियोजना के आरम्भ होने से भारत व नेपाल के बीच रिश्तों का नया अध्याय आरम्भ हुआ है। परियोजना का कार्य शीघ्र आरम्भ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत व नेपाल कुछ अन्य परियोजनाओं पर मिलकर कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है कि पड़ोसी देश ने भारत पर विश्वास जताया है, जो इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में कारगार सिद्ध होगा।

गोयल ने हिमाचल सरकार द्वारा चिनाब तलहटी में बनी जल विद्युत परियोजनाओं पर 12 प्रतिशत कर में छूट देने के प्रयासों की सराहना की, इससे इन परियोजनाओं के पुनः आरम्भ करना संभव होगा।

कृषि एवं ऊर्जा मंत्री सुजान सिंह पठानिया ने नेपाल के प्रधानमंत्री का नाथपा झाकड़ी का दौरा करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में उपलब्ध जल विद्युत क्षमता के दोहन के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और प्रदेश सरकार ने कुल विद्युत विक्रय का एक प्रतिशत परियोजना प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के कल्याण के लिए खर्च करने को ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

एसजेवीएनएल के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक आर.एन. मिश्रा ने नाथपा झाकड़ी तथा जल विद्युत परियोजनाओं पर विस्तृत प्रस्तुति दी।

इससे पूर्व, ऊर्जा मंत्री सुजान सिंह पठानिया ने प्रदेश सरकार की ओर से नेपाल के प्रतिनिधिमण्डल का स्वागत किया। मुख्य संसदीय सचिव नंद लाल तथा सांसद राम स्वरूप शर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

वीरभद्र सिंह ने की उरी में सेना के बेसकैम्प पर हुए आतंकी हमले की निंदा

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने जम्मू-कश्मीर के उरी सैक्टर में सेना के बेस कैम्प में हुए एक आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। इस हमले में सेना के 17 जवान शहीद हुए तथा कई घायल हो गए।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि यह हमला भारत के स्वाभिमान पर हमला है और भारत इस प्रकार के कायरतापूर्ण कृत्यों के आगे झुकने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि इस हमले का हर हाल में मूंह तोड़ जवाब दिया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने शहीद सैनिकों की आत्मा की शांति तथा इस आतंकी हमले में घायल सैनिकों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की भी कामना की है।

प्रदेश की समृद्ध संस्कृति के सरंक्षण में स्वयं सेवी संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण

शिमला/शैल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के समृद्ध संस्कृति कला व रीति-रिवाजों के सरंक्षण व प्रचार प्रसार में स्वयं सेवी संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठाकुर नई दिल्ली में मण्डी जन कल्याण सभा के 55वें वार्षिक समारोह के दौरान बोल रहे थे। इस अवसर पर सायर उत्सव के उपलक्ष्य में सभा द्वारा मण्डी धाम का भी आयोजन किया गया।

ठाकुर ने कहा कि मण्डी जन कल्याण सभा तथा इसी प्रकार की अन्य गैर सरकारी संस्थाएं देश की राजधानी दिल्ली व अन्य महानगरों में प्रदेश की समृद्ध संस्कृति के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने सभा की सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण महानगरों में भी आयोजित किए जाने की आवश्यकता है ताकि प्रदेश की समृद्ध संस्कृति की झलक अन्य देशवासियों को भी देखने को मिल सके। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न भागों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का समय-समय पर आयोजन होना चाहिए ताकि प्रदेश के कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिल सके।

इस अवसर पर हिमाचली कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया।

सभा के महासचिव सोनू राम वर्मा ने सभा की गतिविधियों बारे विस्तृत जानकारी दी।

कौल सिंह ठाकुर ने सभा की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अपनी ऐच्छिक निधि से मण्डी जन कल्याण सभा को 30 हजार रुपये की धनराशि प्रदान करने की घोषणा की। इस दौरान बड़ी संख्या में सभा के सदस्य सायर उत्सव में शामिल हुए।

अर्की सायरोत्सव:

पारम्परिक परिवर्तन का द्योतक

डा. महेश कुमार वर्मा

हमारा भारतवर्ष विभिन्न परम्पराओं एवं रंग-रंगीली संस्कृतियों का देश है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान रखने के बावजूद भी हम भारतवर्षी कहीं ना कहीं परम्परावादी अवश्य हैं और हमारा प्रत्येक क्रियाकलाप कहीं ना कहीं परंपरागत अवश्य होता है। परम्पराओं का निर्वाहन, प्रतीक रूप में सही, पर हमें किसी भी कीमत पर करना ही होता है। दूसरी बात यह है कि हमारी प्रत्येक परम्परा कोई न कोई वैज्ञानिकता अथवा औचित्य अवश्य छिपाए होती है, चाहे वह हमें ज्ञात हो या ना हो। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर परम्पराओं एवं संस्कृतियों का निर्वाहन भी एक परम्परा है, तो इनमे परिवर्तन के अवसर भी होने चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आज के इस तीव्र परिवर्तनशील सांस्कृतिक परिवेश में परम्पराओं में परिवर्तन भी क्या एक सामयिक आवश्यकता बनती जा रही है? हिमाचल उच्च न्यायालय द्वारा पशुबलि प्रथा पर रोक, देश में विभिन्न समुदायों में मृत्युभोज पर रोक, राजस्थान में सतीप्रथा पर रोक आदि कदम परम्पराओं में सामायिक परिवर्तन को इंगित करते हैं। अब अध्ययन का विषय यह है कि इस तरह के परिवर्तन हमारे लिए लाभदाई हैं या फिर हानिकारक।

यह सत्य है की हमारी प्राचीन परम्पराएँ किसी औचित्य को लेकर शने: शने: प्रारम्भ हुई। कालान्तर में इनमे कुछ अच्छाईयां तो कुछ बुराइयाँ जुड़ती चली गई। बहुत सारी परम्पराओं ने कुछ और ही रूप धारण कर लिया। धार्मिक यज्ञों में मनुष्य की पाशविक प्रवृति अथवा पशुत्व की बलि का स्थान पशुबलि ने ले लिया, तो तामसिक प्रवृति और स्वाद लोलुपों को इस तरह की परम्पराएँ औचित्य से भरपूर प्रतीत हुई। पशुओं को आपस में लड़ाने की परम्परा भी शक्ति प्रदर्शन एवं मनोरंजन जैसे औचित्य के लिये थी, जिसने बाद में वीभत्स रूप लिया और प्राणिमात्र पर अकारण अत्याचार का कारण बनी। सतीप्रथा का प्रारम्भ पति-परमेश्वर के प्रति अगाध प्रेम एवं समर्पण से प्रारम्भ हुआ जिसने कालान्तर में हत्या का भयानक रूप ले लिया।

गीतोपदेश के अनुसार परिवर्तन संसार का नियम है। जहाँ परिवर्तन नहीं, वहां परिवर्धन नहीं और जहाँ परिवर्धन नहीं वहां सृष्टि-निर्माण का औचित्य ही समाप्त हो जाता है। फिर सांस्कृतिक परम्पराओं में परिवर्तन क्यों नहीं? क्या आज की युवा पीढ़ी की मानसिकता को हम परम्पराओं के साथ बलात जोड़कर उसके साथ खल तो नहीं कर रहे? क्या हमारी यह सोच उचित है कि प्राचीन परम्पराएँ बिना किसी परिवर्तन और परिवर्धन के हमें सांस्कृतिक उत्थान की ओर ले जाएंगी? अनर्थक हुई परम्पराओं में नवीनता का संचार करना भी तो परम्परा होनी चाहिए। हमारी संस्कृतियां एवं परम्पराएँ किसी रुके हुए गंदे नाले की तरह नहीं, बल्कि एक बहती नदी की तरह सदैव स्वच्छ एवं निर्मल होनी चाहिए। संस्कृति एवं परम्पराओं के द्वार चहुंमुखी एवं सदैव खुले होने चाहिए ताकि इनमें निरंतर नवीनता का संचार होता रहे।

राजाओं के काल से चला आ रहा अर्की सायर मेले का झोटों का प्रदर्शन भी अपने आप में एक अनूठी परम्परा थी, मगर समय के साथ इसकी सार्थकता कम होने लगी एवं अंतत: इसमें परिवर्तन का समय आ गया। आज हमारे पास मनोरंजन के असंख्य साधन मौजूद हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए और बहुत से उपाय खोज लिए गए है। प्राणीमात्र के सम्मान के रूप में हमारा यह कदम स्वागत योग्य है। भावी पीढ़ियां जब अपने इतिहास का अध्ययन करेंगी तो उन्हें ज्ञात होगा कि अपने पूर्वजों द्वारा संस्कृति के द्वार खुले रखने के कारण ही हम एक सुसंस्कृत एवं सुसंस्कारित देश में जन्म ले सके। परम्पराओं में परिवर्तन आज एक सामयिक आवश्यकता है जिसके द्वारा हम अपनी संस्कृतियों के द्वार खुले रखकर उनमें नित्य नवीनता का अनुभव पा सकते हैं। अर्की के सायर मेले को यदि हम सांस्कृतिक परिवर्तन के द्योतक के रूप में स्वीकार करेंगे तो प्रतिवर्ष नवीनता का अनुभव प्राप्त करेंगे।

सभी जातियों व हर वर्ग के नवयुवको, नवयुवतियों, विदूर, विधवा व तलाकशुदा को योग्य जीवनसाथी मिलाने में निरन्तर सफलता हासिल कर रही प्रदेश की एकमात्र विश्वसनीय समाजसेवी संस्था द्वारा संचालित।

"आदर्श जोड़ी मैरिज ब्यूरो" पालमपुर केवल दस वर्षो में 8000 से अधिक जोडियां मिलाने का श्रेय प्राप्त कर चुकी है।

हमारे पास हर प्रकार के रिश्ते उपलब्ध है। तथा उपलब्ध करवाये जाते है। जरूरतमन्द सम्पर्क करे :-

आदर्श जोड़ी मैरिज ब्यूरो

इन्द्रपुरी मार्किट नजदीक नया बस अड्डा पालमपुर दूरभाष : 01894–230260 मोबाईल : 98163–22434

Var -Chachiye

* Suitable Match Far Brahmin Girl, 1989, 5'2", BBA, Bachelar of Library Information Science. Working in Library District & Sessions covers delhi (Preffered Delhi working boy) 01894-230260, 98163-22434.
* Suitable Match Far Brahmin Girl, 1989, 5'2", MA(Hindi) , 01894-230260, 98163-22434.
* Suitable Match Far Brahmin Girl, 1986, 5'1",10+2. 01894-230260, 98163-22434.
* Suitable Match Far Brahmin Girl, 1990, 5'5", M.Pharama. Working in Pharma Coy. 01894-230260, 98163-22434.
* Suitable Match Far Choudhary Girl, 1987, 5'1", M.Com. CPA 1/1/2 years working at Chandigarh Rs. 30,000 PM. 01894-230260, 98163-22434.
* Suitable Match Far Rajput Giral. 1991, 5-1/2/1/2 B. Tech. (ECE) working at Noida Rs. 26,000/- PM , 01894-230260, 98163-22434.
* Suitable Match Far Rajput Girl, 1990, 5'7'B.S.C (Fashion Designing), 01894-230260, 98163-22434.

Vadhu Chachiye

* Suitable Match Far Divarce Issuless Harijan Boy 48 years 5' 3" working Pvt. Job Rs. 15,000/- PM. 01894-230260, 98163-22434.
* Suitable Match Far Brahmin Boy 1979, 5' 8" BA Diploma Make up Artist) working Makeup Artist in Film line Mumbai (Caste No.bar) 01894-230260, 98163-22434.
* Suitable Match Far Brahmin Boy 1977, 5' 7" 10+2 working in Pvt. Job Rs. 15,000PM 01894 01894-230260, 98163-22434.
* Suitable Match Far Rajput Boy 1985, 6' MBBS Doctor. 01894-230260, 98163-22434.
* Suitable Match Far Brahmin Boy 1987, 5'-7" MBA working at Chandigarh Rs. 3.60 Lacs PA , 5-8 01894 – 230260, 98163-22434.
* Suitable Match Far Brahmin Boy. 1984 5'-9" Mass Communication Master Degree working at Chandigarh. 01894 – 230260, 98163-22434.
* Suitable Match For Brahmin Boy 1983 5'-9" MALLB Working Advocate Himachal High Shimla. 01894 – 230260, 98163-22434.

एनएमडीसी लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

● **एनएमडीसी:** एनएमडीसी लिमिटेड 15 नवम्बर 1958 को स्थापित, भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के पूर्ण स्वामित्व एवं प्रशासनिक नियंत्रण का एक सरकारी उद्यम है। एनएमडीसी पिछले 5 दशकों से खनिजों के दोहन एवं अन्वेषण के क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। निगम को भारत सरकार ने **अनुसूची-'ए' सरकारी उद्यम** का दर्जा दिया है। निगम के बढ़ते वैभव और निरंतर उत्कृष्ट निष्पादन को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम बोर्ड ने इसे सन् 2008 में 'नवरत्न कम्पनी' का दर्जा भी दिया है।

एनएमडीसी भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क उत्पादक कम्पनी है, जो कि इसकी 3 पूर्णत: मशीनीकृत खदानों (छत्तीसगढ़ में बैलाडीला 14/11सी, 5, 10/11ए एवं कर्नाटका में दोणिमलै) से लगभग 30 मिलियन टन प्रतिवर्ष लौह अयस्क का उत्पादन करती है। सुरक्षा की दृष्टि से इसकी सभी खदानें आईएसओ 9001-2008 से प्रमाणित हैं। मध्यप्रदेश में एनएमडीसी के पास 1 लाख कैरेट प्रतिवर्ष क्षमता की एशिया की एक मात्र मशीनीकृत हीरा खदान है। एनएमडीसी उत्तर प्रदेश में सिलिका सैण्ड, जम्मू कश्मीर में मेग्नेसाइट, तंजानिया (अफ्रीका) में स्वर्ण, हिमाचल प्रदेश में चूनापत्थर एवं अन्य प्रदेशों में विभिन्न खनिजों की खदानें विकसित कर रही है। एनएमडीसी देश - विदेश में खनिजों का अन्वेषण भी कर रही है।

● **अर्की चूनापत्थर परियोजना:** एनएमडीसी लिमिटेड अर्की तहसील (हिमाचल प्रदेश) के 232.6 हैक्टेयर क्षेत्र में 3 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता की इस्पात एवं सीमेंट ग्रेड के चूनापत्थर खनन परियोजना स्थापित करने जा रही है।

परियोजना के लक्ष्य :

- 26 वर्षों तक प्रतिवर्ष लगभग 50 लाख टन उच्च गुणवत्ता के चूनापत्थर का उत्पादन।
- देश एवं प्रदेश को रॉयल्टी, कर आदि राजस्वों का भुगतान कर आर्थिक सहायता।
- 'नैगम सामाजिक दायित्व' नीति के अन्तर्गत प्रदेश में सड़क, स्कूल, अस्पताल, पानी, बिजली एवं अन्य जनकल्याण के कार्यों का निर्वाहन।
- परियोजना क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार।
- परियोजना क्षेत्र का विश्व खनिज मानचित्र पर चित्रण।

अधिक जानकारी के लिए कृपया सम्पर्क करें :

परियोजना कार्यालय : अर्की चूनापत्थर परियोजना, एनएमडीसी लिमिटेड, अर्की, जिला सोलन (हि.प्र.) फोन : 01796-220613

प्रधान कार्यालय : एनएमडीसी लिमिटेड, 10-3-311/ए, मासाब टैंक, हैदराबाद (आं.प्र.) फोन : 040-23538713-21

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177 – 2805015, 94180 – 15015 फैक्स: 2805015

ठेकेदारो के आगे मुख्यमन्त्री बेबस

वीरभद्र ने पिछले दिनों रोहड़ू के एक आयोजन में जिस कदर ठेकेदारों पर अपने गुस्से को सार्वजनिक किया था उसके बाद यह उम्मीद जगी थी कि जल्द ही इस ठेकेदारी संस्कृति में कुछ सुधार होगा। मुख्यमन्त्री ने ठेकेदारों को लुटेरा की संज्ञा दी थी। माना जा रहा था कि जब वीरभद्र को ठेकेदारों के बारे में इस कदर जानकारी है तो निश्चित रूप से वह कुछ लोगों के खिलाफ तो कड़ी कारवाई करेंगे ही। क्योंकि मुख्यमन्त्री के अपने पास ही लोक निर्माण विभाग है। लेकिन आज तक किसी ठेकेदार के खिलाफ कोई कारवाई सामने नही आयी है। जबकि कुल्लु के बंजार में जब डीसी के खिलाफ अपना गुस्सा सार्वजनिक मंच से निकालते हुए मंच से ही डी सी को बदलने के आदेश जारी कर दिये तो उन पर अमल भी हो गया और डी सी साहिब बदल भी दिये गये।

ठेकेदार किस तरह काम कर रहे हैं। कैसे उनके लिये हजार काम एक लाख में और एक लाख का काम एक करोड़ में सपन्न होता है। इसका उदाहरण तो शिमला के हो रहे सौंदर्यकरण में साफ देखा जा सकता है। जहां पर दो चर्चो की रिपेयर के लिये ही 17.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है चर्च कमेटी और पर्यटन विभाग में इसका बाकायदा अनुबन्ध भी हो चुका है। मालरोड़ और आस –पास साढ़े तीन करोड़ में सात रेनशेलटर बन रहे हैं। आम आदमी इन कीमतों को देखकर एकदम स्तब्ध है। मजे की बात है कि लोक निर्माण की तरह पर्यटन विभाग भी स्वयं मुख्यमन्त्री के पास है इसलिये यह जो कुछ हो रहा है यह सीधे मुख्यमन्त्री की जानकारी में होगा ही। लेकिन इसके बावजूद मुख्यमन्त्री इन ठेकेदारों पर कोई नियन्त्रण नही कर पा रहे हैं। मुख्यमन्त्री ऐसा ही गुस्सा सोलन में भी ठेकेदारों और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के खिलाफ उगल चुके है।

जब मुख्यमन्त्री का गुस्सा सार्वजनिक तौर पर सामने आने के बाद भी किसी के खिलाफ कोई कारवाई न हो पाये तो निश्चित रूप से यह चर्चा उठेगी ही कि सरकार और प्रशासन पर ठेकेदार कैसे भारी पड़ रहे है । यह सवाल सचिवालय के गलियारों से लेकर स्कैंडल तक चर्चा में है। इस में सबसे ज्यादा चर्चा स्वयं ठेकेदार कर रहे है। चर्चा है कि ठेकेदारों से इस समय कुछ लोग मुख्यमन्त्री के नाम पर ही उगाही करने लग गये हैं इसके लिये मुख्यमन्त्री के कठिन समय की दुहाई दी जा रही है। कहते है कि इसकी जानकारी रोहड़ू से ही मुख्यमन्त्री को मिली है और उसके बाद वह बहुत ज्यादा गुस्से में है और हर कहीं उनका क्रोध फूट पड़ रहा है। क्योंकि ऐसा करने वालों को तो वह रोक नही पा रहे हैं। कहते है कि रोहड़ू में इसको लेकर कुछ समर्थकों में अच्छी खासी बहसबाजी भी हो गयी है।

वीरभद्र के आय से अधिक संपति मामले में

23 से निपटारे तक प्रतिदिन होगी सुनवाई

शिमला/शैल। मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ दर्ज आय से अधिक सम्पति मामले में सी बी आई ने जांच पूरी करके इसका चालान ट्रायल कोर्ट में दायर करने के लिये दिल्ली उच्च न्यायालय से अनुमति मांगी है। दूसरी ओर इस मामले में दर्ज एफ आई आर को रद्द करने का आग्रह भी वीरभद्र सिंह ने अदालत में दायर किया हुआ है। 15 तारीख को यह दोनों मामले एक साथ दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई के लिये आये। लेकिन उस दिन बहस पूरी न होने के कारण अब यह मामला 23 तारीख को रखा गया है। उस दिन भी बहस पूरी न होने की सूरत में यह मामला अन्तिम निपटारे तक प्रति दिन सुना जायेगा। इस मामले पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं और यह जिज्ञासा बनी हुई है कि इसमें एफ आई आर रद्द होगी है या सी बी आई को चालान ट्रायल कोर्ट में दायर करने की अनुमति मिल जायेगी।

इस प्रश्न को समझने के लिये इस मामले में जो कुछ अब तक घट चुका है उस पर नज़र दौड़ाने की आवश्यकता है। स्मरणीय है कि इसमें 23-09-2015 को सी बी आई ने एफ आई आर दर्ज की थी और उसके तीसरे दिन वीरभद्र के आवास और अन्य संबद्ध स्थानों पर छापामारी की थी। इस छापामारी को वीरभद्र ने तुरन्त प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौति दी। वीरभद्र ने अदालत से इस मामले में दर्ज एफ आई आर को रद्द करने के साथ ही यह भी आग्रह किया कि To issue directions, after perusing the record relating to the preliminary enquiry and regular case, thereby quashing the RC AC-1 2015 A-0004 under Section 13(2) r/w 13(1)(e) of Prevention of Corruption Act, W.P. (Crl.) No.2757/2015 1988 and Section 109 IPC registered by CBI on 23-09-2015 and all the action taken in pursuance of regular case including but not limiting to the search warrants, seizure memos and all investigation done by respondent No.1. वीरभद्र के इस आग्रह पर विचार करने के बाद जस्टिस राजीव शर्मा की खण्डपीठ ने इसमें सी बी आई को निर्देश दिये कि The CBI is directed to go ahead with the investigation but the statements of the petitioners shall not be recorded without the leave of the court. The central bureau of investigation shall not file challan without the express leave of this Court.

सी बी आई ने हिमाचल उच्च न्यायालय के इन निर्देशों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौति दी और मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में ट्रांसफर करने का आग्रह किया। इस पर 5-11-2015 को यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में ट्रांसफर हो गया और CWP (Crl.) No. 2757/2015 के रूप में दर्ज हो गया। दिल्ली उच्च न्यायालय में 6 अप्रैल को सुनवाई के लिये आये इस मामले में अदालत के सामने यह आ चुका है कि Now the situation has changed as statements of some of the witnesses have been recorded under Section 164 Cr.P.C. and some stamp papers have also been recovered which create suspicion on the genuineness of MOU dated 15-06-2008. यह सामने आने के बाद ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने वीरभद्र और प्रतिभा सिंह को जांच में शामिल होने के निर्देश दिये थे। इसके बाद ही वीरभद्र और प्रतिभा सिंह जांच में शामिल हुये थे। इस मामले में दर्ज एफ आई आर में वीरभद्र प्रतिभा के साथ ही आनन्द चौहान और चुन्नीलाल भी इसमें सह अभियुक्त हैं। सी बी आई मे मामला दर्ज होने के बाद ही इन लोगों के खिलाफ ई डी में मनीलांडरिंग का मामला दर्ज हुआ था। आनन्द चौहान को ई डी गिरफ्तार करके उनके खिलाफ चालान भी दायर कर चुकी है। अदालत ने चालान का संज्ञान लेकर आरोप तय करने के लिये तारीख भी तय कर दी है। सी बी आई चुन्नीलाल के अकांउटैन्ट सरोज सिंह के 164 Cr. P.C. के तहत अदालत में ब्यान दर्ज करवा चुकी है। सूत्रों के मुताबिक चुन्नीलाल भी 164 Cr. P.C. मे अपने ब्यान दर्ज करवा चुका है।

अब सी बी आई ने मामले की जांच पूरी करके इसका चालान ट्रायल कोर्ट में दायर करने की अनुमति दिल्ली उच्च न्यायालय से मांग रखी है जिस पर 23 तारीख को अगली सुनवाई होगी। इस समय जांच पूरी करके सी बी आई चालान तैयार कर चुकी है। अदालत के सामने 6 अप्रैल को ही यह आ गया था कि इसमें कुछ गवाह 164 Cr.P.C. के तहत ब्यान दर्ज करवा चुके हैं। आनन्द चौहान और वीरभद्र के बीच 15-06-2008 को हुये एग्रीमैन्ट की प्रमाणिकता पर लगे प्रश्न चिन्ह भी अदालत के सामने आ चुके हैं। अब जब इस मामले में इतना कुछ घट चुका है और करीब एक साल से यह मामला अदालत के पास लंबित है। इसमें 6 अप्रैल के बाद लगी सारी तारीखों पर किसी-न-किसी कारण से सुनवाई हो नहीं पायी है संभवत इसी कारण 23 तारीख को निपटारे तक नियमित रूप से इसकी सुनवाई रखी गई है। कानून के जानकारों के मुताबिक इस स्टेज पर एफ आई आर का रद्द किया जाना किसी भी तरह संभव नहीं है। वीरभद्र ने इस मामले में सी बी आई के अधिकार क्षेत्र पर ही यह सवाल उठाया है कि मामले से संबधित सारा कुछ हिमाचल में घटा है जबकि आनन्द चौहान ने दिसम्बर 2011 में आयकर विभाग को यह जवाब दिया था कि उसके खातों में जमा हुआ सारा कैश वीरभद्र के सेब बगीचों की आय है और वह बगीचों का प्रबन्धक था। इसके बाद ही मार्च में वीरभद्र ने अपनी पुरानी आयकर रिटर्नज़ संशोधित की थीं और इस दौरान वीरभद्र केन्द्र में मन्त्री थे। इसके अतिरिक्त वीरभद्र उनके उपर लगे आरोपों को भी अभी तक नकार नहीं पाये हैं बल्कि इस सब को आयकर से जुड़ा मामला करार देते आये हैं। बहरहाल यह मामला इस समय प्रदेश की राजनीति का एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है।

कांग्रेस पर भारी पड़ेगा वीरभद्र और सुक्खु का टकराव

शिमला/शैल। इन दिनों प्रदेश के राजनीतिक और प्रशासनिक हल्कों में वीरभद्र और कांग्रेस अध्यक्ष सुक्खु में चल रहा टकराव चर्चा का केन्द्र बना हुआ है। वीरभद्र ने पिछले कुछ दिनों में संगठन को लेकर जिस तरह की टिप्पणीयां की हैं उससे यह टकराव अपने आप चर्चा का विषय बन गया है क्योंकि वीरभद्र ने संगठन की कार्यप्रणाली पर ऐसे सवाल उठा दिये है जिनका ताल्लुक सीधे हाईकमान से हो जाता है। वीरभद्र ने संगठन में नियुक्त सचिवों की न केवल संख्या पर बल्कि उनकी एक प्रकार से राजनीतिक योग्यता पर ही सवाल खड़े कर दिये हैं। सचिवो की नियुक्ति हाईकमान के निर्देशों और उसकी स्वीकृति से होती है यह वीरभद्र भी जानते हैं। लेकिन इसके बाद भी उनका ऐसे सवाल उठाना एक प्रकार से हाईकमान को भी चुनौती देने जैसा हो जाता है। वीरभद्र जैसा वरिष्ठ नेता ऐसा क्यों कर रहा है वह अपरोक्ष में हाईकमान से ही टकराव की स्थितियां क्यों पैदा कर रहा है। इसको लेकर यदि वीरभद्र के इस कार्यकाल का निष्पक्ष आंकलन किया जाये तो जो तस्वीर उभरती है इससे सब कुछ पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है।

2012 के चुनावों में वीरभद्र ने कैसे पार्टी की कमान हासिल की थी इसे सब जानते हैं। उस समय यहां तक चर्चाएं उठी थी कि यदि वीरभद्र को नेतृत्व नहीं सौंपा गया तो वह शरद पवार का दामन थाम सकते हैं इसके लिये हर्ष महाजन की भूमिका को लेकर भी चर्चाएं उठी थी। इन चर्चाओं का परिणाम था कि चुनावों में नेतृत्व वीरभद्र को मिल गया। लेकिन जब चुनावों के बाद मुख्यमन्त्री के चयन का सवाल आया था उस समय पर्यवेक्षकों के सामने पूरा विधायक दल दो बराबर हिस्सों में बंटा मिला था। इसी कारण से सरकार के गठन के तुरन्त बाद वीरभद्र ने जब अपने समर्थकों की ताजपोशीयां शुरू की थी तो उस पर इस कदर एतराज उठे थे कि इन ताजपोशीयों पर विराम लगाना पड़ा था। बड़े अरसे बाद यह गतिरोध समाप्त हुआ था। लेकिन वीरभद्र ने जिस तरह से अपने सचिवालय में स्टॉफ का चयन किया और सेवानिवृत अधिकारियों को अधिमान दिया उसका असर प्रशासन पर भी पड़ा। बल्कि मुख्यमन्त्री के अपने सचिवालय में ही दो धुव्र बन गये। क्योंकि सेवानिवृत अधिकारियों का प्रशासन पर जितना प्रत्यक्ष प्रभाव था उतनी उनकी अधिकारिक तौर पर जवाबदेही नही थी।

वीरभद्र के अपने ही सचिवालय में बने इन अलग-अलग धुवों का परिणाम यह हुआ कि जिन मुद्दों को धूमल शासन के खिलाफ उछाल कर वीरभद्र सत्ता में आये थे उनमें से एक भी मुद्दे को आज तक प्रमाणित नही कर पाये हैं। धूमल के खिलाफ हिमाचल ऑन सेल का आरोप लगाकर कोई मामला चिहिन्त नही कर पाये हैं। मिन्हास को कबर से भी खेद कर लाने की धमकीयां देते थे वीरभद्र परन्तु परिणाम शून्य/अवैध फोन टेपिंग के खुद शिकार होने के वाबजूद इस मामले में कुछ नही कर पाये। एचपीसीए को लेकर जितने मामले उठाये उनका परिणाम यह रहा कि अपने ही सचिवालय के अधिकारी इसमें खाना 12 में अभियुक्त नामजद हैं। यह सारे वह मामले हैं जिन पर जनता को सरकार से कुछ प्रभावी कारवाई की उम्मीद थी। वीरभद्र के अपने ही दफ्तर से डीओ लैटर चोरी होने और उनके आधार पर ट्रांसफरें होने के मामलें में हुई जांच का अन्तिम परिणाम क्या रहा कोई नही जानता। युवा कांग्रेस के चुनावों में भी एक विज्ञापन जारी होने और उसकी पैमेन्ट के मामलें में दर्ज रिपोर्ट का क्या हुआ है कोई नही जानता। ऐसे कई प्रकरण हैं जिन्हें जनता नही भूली है। इन सवालों का जवाब केवल वीरभद्र को ही देना है। सरकार और वीरभद्र आज तक यह नही खोज पाये हैं कि ऐसी असफलता के क्या कारण रहे हैं।

यही नही आज स्वयं सीबीआई और ईडी में जिस कदर घिर गये हैं वहां पर अन्तिम परिणाम में नुकसान होना तय है। इन मामलों के लिये धूमल, अनुराग और जेटली को कोसने की बजाये अपने गिर्द ही नजर दौड़ाते और अपने सलाहकारों की सलाह का निष्पक्ष आंकलन करते तो शायद ऐसे हालात पैदा ही नही होते।आज सीबीआई और ईडी मामलों में आरोप लगने की स्टेज पहुंच रही है अदालत से भी ज्यादा वक्त मिलना संभव नही होगा।इनमे मामले दर्ज हुए को करीब एक वर्ष हो गया है और अब ट्रायल तक आने ही हैं। ऐसे में विपक्ष से ज्यादा कांग्रेस के भीतर से नेतृत्व परिवर्तन की आवाज उठेगी इस आवाज को संगठन के साथ टकराव लेकर दबाना कठिन होगा। इस परिदृश्य में वीरभद्र और संगठन आने वाले समय में क्या रास्ता अपनाते हैं यह देखने वाला होगा। क्या संगठन अपनी कीमत पर वीरभद्र की वकालत करने का रास्ता चुनता है या नही। क्योंकि वीरभद्र की वकालत से संगठन लम्बे समय के लिये सत्ता से बाहर हो जायेगा। दूसरी ओर क्या वीरभद्र संगठन के लिये पद त्यागते हैं या संगठन को पूरी तरह तहस नहस करने के लिये फिर वीरभद्र ब्रिगेड खड़ा करने की रणनीति अपनाते हैं।